

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 26—फरवरी 1, 2019 (माघ 6, 1940)

No- 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 26—FEBRUARY 1, 2019 (MAGHA 6, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc- of Govt- Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली—110011, दिनांक 2 जनवरी 2019

सं. ए. 22017/2/2014—पीएमई—राष्ट्रपति, डा. हिरेन जोशी, मानिक्य लाल वर्मा टैक्सटाइल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज, भीलवाड़ा, राजस्थान सरकार के आईसीटी विभाग में विभागाध्यक्ष और जो वर्तमान में प्रधान मंत्री कार्यालय में विशेष कार्याधिकारी (सूचना प्रौद्योगिकी) के पद पर हैं, को तत्काल प्रभाव से वेतन स्तर—13 में विशेष कार्याधिकारी (संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. डा. हिरेन जोशी की विशेष कार्याधिकारी (संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी) के रूप में नियुक्ति उन्हीं अनुमोदित निबंधन एवं शर्तों के अधीन होगी, जो विशेष कार्याधिकारी (सूचना प्रौद्योगिकी) के लिए हैं और यह नियुक्ति प्रधानमंत्री के कार्यकाल के सह—समाप्य एवं उनके विवेकाधीन होगी।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

दिनांक 10 जनवरी 2019

सं. ए—22012/2(i)/2018—पीएमई—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/5/2017—सीएस. II(ए) दिनांक 28.12.2018 के अनुसरण में गृह मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री वाई. सुब्बा राव [सीएसएल नं. 237] को प्रधान मंत्री कार्यालय में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (Sr. PPS) के तौर पर दिनांक 28 दिसंबर, 2018 (पूर्वाह्न)

से दिनांक 30.06.2019 तक की अवधि के लिए या इन पदों को नियमित पदोन्नति से भरे जाने तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में यह तदर्थ पदोन्नति निम्न शर्तों के अधीन होगी:

- i. यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;
- ii. तदर्थ नियुक्तियों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;
- iii. वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा;
- iv. पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित वाद;
- v. ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी(सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती वाद;
- vi. संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती वाद।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

सं. ए-22012/2(ii)/2018-पीएमई—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/5/2017-सीएस. II(ए) दिनांक 28.12.2018 के अनुसरण में गृह मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री पवन कुमार दुबे [सीएसएल नं. 261] को प्रधान मंत्री कार्यालय में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (Sr. PPS) के तौर पर दिनांक 31 दिसंबर, 2018 (पूर्वाह्न) से दिनांक 30.06.2019 तक की अवधि के लिए या इन पदों को नियमित पदोन्नति से भरे जाने तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में यह तदर्थ पदोन्नति निम्न शर्तों के अधीन होगी:

- i. यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;
- ii. तदर्थ नियुक्तियों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;
- iii. वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा;
- iv. पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित वाद;
- v. ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी(सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती वाद;
- vi. संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती वाद।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

सं. ए-22012/2(iii)/2018-पीएमई—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/5/2017-सीएस. II(ए) दिनांक 28.12.2018 के अनुसरण में गृह मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री अश्विनी बत्रा [सीएसएल नं. 406] को प्रधान मंत्री कार्यालय में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (Sr. PPS) के तौर पर दिनांक 28 दिसंबर, 2018 (पूर्वाह्न) से दिनांक 30.06.2019 तक की अवधि के लिए या इन पदों को नियमित पदोन्नति से भरे जाने तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में यह तदर्थ पदोन्नति निम्न शर्तों के अधीन होगी:

- i. यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;

- ii. तदर्थ नियुक्तियों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;
- iii. वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा;
- iv. पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित वाद;
- v. ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी(सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती वाद;
- vi. संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती वाद।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

दिनांक 11 जनवरी 2019

सं. ए-22012/2(1)/2018-पीएमई(पार्ट-4)—दिनांक 11 जनवरी, 2019 के अपराह्न से श्री सैयद इकराम रिजवी, निदेशक ने प्रधान मंत्री कार्यालय में निदेशक के पद का कार्यभार छोड़ दिया है और उनकी सेवाएं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सौंपी जाती हैं।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

सं. ए-22012/2(i)/2019-पीएमई (पार्ट-I)—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/3/2018-सीएस. II(ए) दिनांक 28.12.2018 के अनुसरण में गृह मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री सुरिन्दर सिंह [सीएसएल नं. 289] को प्रधान मंत्री कार्यालय में प्रधान निजी सचिव (PPS) के रूप में, वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 पर दिनांक 31 दिसंबर, 2018 (पूर्वाह्न) से दिनांक 30.06.2019 तक की अवधि के लिए या इन पदों को नियमित पदोन्नति से भरे जाने तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में यह तदर्थ पदोन्नति निम्न शर्तों के अधीन होगी:

- i. यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;
- ii. तदर्थ नियुक्तियों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;
- iii. प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा;
- iv. पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित वाद;
- v. ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी(सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती वाद;
- vi. संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती वाद।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

सं. ए-22012/2(ii)/2019-पीएमई (पार्ट-I)—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/3/2018-सीएस. II(ए) दिनांक 28.12.2018 के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री अतुल सिंह बिष्ट [सीएसएल नं. 309] को प्रधान मंत्री कार्यालय में प्रधान निजी सचिव (PPS) के रूप में, वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 पर दिनांक 28 दिसंबर, 2018 (पूर्वाह्न) से दिनांक 30.06.2019 तक की अवधि के लिए या इन पदों को नियमित पदोन्नति से भरे जाने तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में यह तदर्थ पदोन्नति निम्न शर्तों के अधीन होगी:

- i. यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;

- ii. तदर्थ नियुक्तियों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;
- iii. वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा;
- iv. पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित वाद;
- v. ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी(सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती वाद;
- vi. संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती वाद।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

सं. ए-22012/2(iii)/2019-पीएमई (पार्ट-I)—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/3/2018-सीएस. II(ए) दिनांक 28.12.2018 के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री राजेन्द्र कुमार [सीएसएल नं. 496] को प्रधान मंत्री कार्यालय में प्रधान निजी सचिव (PPS) के रूप में, वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 पर दिनांक 31 दिसंबर, 2018 (पूर्वाह्न) से दिनांक 30.06.2019 तक की अवधि के लिए या इन पदों को नियमित पदोन्नति से भरे जाने तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में यह तदर्थ पदोन्नति निम्न शर्तों के अधीन होगी:

- i. यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;
- ii. तदर्थ नियुक्तियों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;
- iii. प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा;
- iv. पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित वाद;
- v. ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी(सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती वाद;
- vi. संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती वाद।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

सं. ए-22012/2(iv)/2019-पीएमई(पार्ट-I)—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/3/2018-सीएस. II(ए) दिनांक 28.12.2018 के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री राज कुमार [सीएसएल नं. 509] को प्रधान मंत्री कार्यालय में प्रधान निजी सचिव (PPS) के रूप में, वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 पर दिनांक 31 दिसंबर, 2018 (पूर्वाह्न) से दिनांक 30.6.2019 तक की अवधि के लिए या इन पदों को नियमित पदोन्नति से भरे जाने तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्ति करते हैं।

2. प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में यह तदर्थ पदोन्नति निम्न शर्तों के अधीन होगी:

- i. यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;
- ii. तदर्थ नियुक्तियों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;
- iii. प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा;
- iv. पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित वाद;

- v. ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी(सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती वाद;
- vi. संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती वाद।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

सं. ए-22012/2(v)/2019-पीएमई(पार्ट-I)—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/3/2018-सीएस.II(ए) दिनांक 28.12.2018 के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री परवीन कुमार अरोड़ा [सीएसएल नं. 599] को प्रधान मंत्री कार्यालय में प्रधान निजी सचिव (PPS) के रूप में, वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 पर दिनांक 28 दिसंबर, 2018 (पूर्वाह्न) से दिनांक 30.6.2019 तक की अवधि के लिए या इन पदों को नियमित पदोन्नति से भरे जाने तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्ति करते हैं।

2. प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में यह पदर्थ पदोन्नति निम्न शर्तों के अधीन होगी:

- i. यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;
- ii. तदर्थ नियुक्तियों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;
- iii. प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा;
- iv. पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित वाद;
- v. ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी(सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती वाद;
- vi. संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती वाद।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

सं. ए-22012/2(vi)/2019-पीएमई(पार्ट-I)—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/3/2018-सीएस.II(ए) दिनांक 28.12.2018 के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्रीमती परवीन अरोड़ा [सीएसएल नं. 608] को प्रधान मंत्री कार्यालय में प्रधान निजी सचिव (PPS) के रूप में, वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 पर दिनांक 31 दिसंबर, 2018 (पूर्वाह्न) से दिनांक 30.6.2019 तक की अवधि के लिए या इन पदों को नियमित पदोन्नति से भरे जाने तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्ति करते हैं।

2. प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में यह पदर्थ पदोन्नति निम्न शर्तों के अधीन होगी:

- i. यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;
- ii. तदर्थ नियुक्तियों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;
- iii. प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा;
- iv. पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित वाद;
- v. ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी(सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती वाद;
- vi. संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती वाद।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

सं. ए-22012/2(vii)/2019-पीएमई(पार्ट-I)—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/3/2018-सीएस.II(ए) दिनांक 28.12.2018 के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री आर. रामचन्द्रन [सीएसएल नं. 658] को प्रधान मंत्री कार्यालय में प्रधान निजी सचिव (PPS) के रूप में, वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 पर दिनांक 31 दिसंबर, 2018 (पूर्वाह्न) से दिनांक 30.6.2019 तक की अवधि के लिए या इन पदों को नियमित पदोन्नति से भरे जाने तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्ति करते हैं।

2. प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में यह पदर्थ पदोन्नति निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी:

- i. यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;
- ii. तदर्थ नियुक्तियों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;
- iii. प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा;
- iv. पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित वाद;
- v. ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी(सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती वाद;
- vi. संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती वाद।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

सं. ए-22012/2(viii)/2019-पीएमई(पार्ट-I)—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/3/2018-सीएस.II(ए) दिनांक 28.12.2018 के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री अशोक कुमार शर्मा [सीएसएल नं. 694] को प्रधान मंत्री कार्यालय में प्रधान निजी सचिव (PPS) के रूप में, वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 पर दिनांक 28 दिसंबर, 2018 (पूर्वाह्न) से दिनांक 30.6.2019 तक की अवधि के लिए या इन पदों को नियमित पदोन्नति से भरे जाने तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्ति करते हैं।

2. प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में यह पदर्थ पदोन्नति निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी:

- i. यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;
- ii. तदर्थ नियुक्तियों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;
- iii. प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा;
- iv. पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित वाद;
- v. ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी(सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती वाद;
- vi. संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती वाद।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

सं. ए-22012/2(ix)/2019-पीएमई(पार्ट-I)—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/3/2018-सीएस.II(ए) दिनांक 28.12.2018 के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री उमराव सिंह [सीएसएल नं. 770] को प्रधान मंत्री कार्यालय में प्रधान निजी सचिव (PPS) के रूप में, वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 पर दिनांक 31 दिसंबर, 2018 (पूर्वाह्न) से दिनांक 30.6.2019 तक की अवधि के लिए या इन पदों को नियमित पदोन्नति से भरे जाने तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्ति करते हैं।

2. प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में यह पदर्थ पदोन्नति निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी:

- i. यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;

- ii. तदर्थ नियुक्तियों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;
- iii. प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा;
- iv. पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित वाद;
- v. ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी(सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती वाद;
- vi. संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती वाद।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

सं. ए-22012/2(x)/2019-पीएमई(पार्ट-I)—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/3/2018-सीएस.II(ए) दिनांक 28.12.2018 के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री जगबीर सिंह [सीएसएल नं. 829] को प्रधान मंत्री कार्यालय में प्रधान निजी सचिव (PPS) के रूप में, वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 पर दिनांक 28 दिसंबर, 2018 (पूर्वाह्न) से दिनांक 30.6.2019 तक की अवधि के लिए या इन पदों को नियमित पदोन्नति से भरे जाने तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्ति करते हैं।

2. प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में यह पदर्थ पदोन्नति निम्न शर्तों के अधीन होगी:

- i. यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;
- ii. तदर्थ नियुक्तियों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;
- iii. प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा;
- iv. पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित वाद;
- v. ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी(सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती वाद;
- vi. संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती वाद।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

सं. जी.एफ.402/2015-पीएमई—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अनुसार श्री अमरीक सिंह, उप सचिव को उक्त अधिनियम के तहत प्रधान मंत्री कार्यालय से संबंधित सभी मामलों के लिए 11 जनवरी, 2019 से अपील प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

दिनांक 15 जनवरी 2019

सं. ए-22017/2/2004-पीएमई—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 21/11/2006-ईओ (एमएम-I) दिनांक 11.9.2018, 15.10.2018 और 27.12.2018 के संदर्भ में सशस्त्र सीमा बल के उप महानिदेशक श्री एन. सी. झिंगटा की पूर्व प्रधान मंत्री (स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी) के सचिव के रूप में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि को 22.05.2018 से आगे 30.11.2018 तक बढ़ाते हैं।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

नीति आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्टूबर 2018

सं. एफ-6(2286)/2017-प्रशा.II—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.10.2018 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/1/2016-ईओ(एमएम.2) पार्ट अनुसरण में सुश्री अनामिका सिंह, आईएस, (यूपी:2004), को दिनांक 04.10.2018 से व्यक्तिगत लाभ देते हुए उनके द्वारा धारित उप सचिव के पद को निदेशक (स्तर-13) के रूप में पुनः पदनामित किया जाता है।

2. सुश्री अनामिका सिंह, निदेशक, नीति आयोग की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल दिनांक 05.05.2020 (7 वर्षों की संयुक्त अवधि) तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वही रहेगा। उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल दिनांक 06.05.2013 से गिना जायेगा।

दिनेश कोछड़, अवर सचिव

दिनांक 29 अक्टूबर 2018

सं. ए. 19012/03/2017-प्रशा.I—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/8/2012-ईओ (एसएम-II) दिनांक 06.10.2017 के अनुसरण में तथा नीति आयोग में प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरा होने पर श्री जे. पी. मिश्रा, सलाहकार को अपने मूल संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिनांक 31.10.2018 (अपराहन) से नीति आयोग से कार्यमुक्त किया जाता है।

दिनेश कोछड़, अवर सचिव

दिनांक 22 नवम्बर 2018

सं. ए-12025/01/2017-प्रशा. Iए—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.11.2018 के पत्रांक 33/09/2018-ईओ(एसएम.I) के अनुसरण में राष्ट्रपति, श्री पराग गुप्ता, आईएस, (ओडिशा: 1988) को दिनांक 14.11.2018 (अपराह्न) से केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत पाविश्र परिवर्तन आधार (लेटरल शिफ्ट आधार) पर दिनांक 29.06.2020 तक कुल पांच वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, नीति आयोग में सलाहकार (स्तर-14) के रूप में नियुक्त करते हैं।

दिनेश कोछड़, अवर सचिव

दिनांक 10 दिसम्बर 2018

सं. ए-32011/01/2016-प्रशा.I—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 नवम्बर, 2018 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/05/2013-सीएस.आई(डी) के अनुसरण में तदर्थ आधार पर उप सचिवों के रूप में स्थानापन्न निम्नलिखित अवर सचिवों की तदर्थ नियुक्ति के कार्यालय को दिनांक 30.6.2019 तक या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले ही, बढ़ाया जाता है:

1. श्री अजीत कुमार (सीएसएल सं. 5481)
2. श्री शशि पाल (सीएसएस सं. 5692)
3. श्री राजीव सभरवाल (सीएसएल सं. 5791)

2. बढ़ाई गई तदर्थ नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.07.2012 के आदेश सं. 4/14/2011-सीएस.आई(डी) में उल्लिखित शर्तों तथा तदर्थ आधार पर उप सचिव के ग्रेड पर सीएसएस के अवर सचिवों की पदोन्नति के लिए आगामी आदेशों के अधीन है।

दिनेश कोछड़, अवर सचिव

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 जनवरी 2019

सं. डीपी/कार्मिक-1/2018/193/03/39/2014—श्री बी. शंकर राव, पुलिस उपाधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष स्थापना, एसीबी, हैदराबाद ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर 31.12.2018 के अपराहन से पुलिस उपाधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

डी. पी. सिंह, प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसंबर 2018

सं. I-11014/9/2018-IPS-IV—भारतीय पुलिस सेवा (कैंडर) नियम-1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों एवं महाराष्ट्र और झारखण्ड सरकार की सहमति के साथ, केंद्र सरकार श्रीमती प्रियंका मीणा IPS (MH:2013) को श्री सूरज कुमार, IPS (JH:2013) के साथ विवाह के आधार पर महाराष्ट्र से झारखण्ड स्थानांतरित करती है।

अंजन सरकार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसंबर 2018

शुद्धिपत्र

सं. आई-18012/2/2018-आईपीएस-1—इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-आई 18012/2/2008-भा.पु.से.-1 दिनांक 04.10.2018 के पैरा संख्या-1 में आंशिक संशोधन करते हुए, निम्नलिखित रूप से पढ़ा जाए।

भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एकीकृत आन्ध्र प्रदेश संवर्ग को आवंटित भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को, प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीखों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं।

2. दिनांक 04.10.2018 के आदेश की अन्य सामग्री अपरिवर्तनीय रहेगी।

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 2 जनवरी 2019

सं. आई-18012/4/2008-आईपीएस-1—भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति हरियाणा संवर्ग को आवंटित भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य श्री शिव चरन (राज्य पुलिस सेवा: 9999) को दिनांक 07.06.2014 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं।

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 8 जनवरी 2019

सं. आई-18012/01/2019-आईपीएस-1—भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति उत्तराखंड संवर्ग को आवंटित भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को, प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीखों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं:—

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व/श्री)	भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी किए जाने की तारीख
1.	ददन पाल	02.08.2017
2.	सुखबीर सिंह	02.08.2017
3.	मुकेश कुमार	03.08.2018

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

आपदा प्रबंधन प्रभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 जनवरी 2019

सं. 47-8/2010-डी एम-III खंड-II—राष्ट्रपति, श्री समीर कुमार को गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (एनसीआरएमपी) की परियोजना प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में लेवल 13 के पे मेट्रिक्स में (7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार) 17.12.2018 (पूर्वाह्न) से प्रारंभ में 03 वर्ष की अवधि अथवा परियोजना पूरी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्त आधार पर उप परियोजना निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

सुरेन्द्र ठाकुर, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 2018

सं. 14013/02/2018-अ.भा.से.-III—भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय प्रशासनिक सेवा में आवंटित छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथि से स्थायी करते हैं:—

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती)	बैच	स्थायी करने की तारीख
1	अनुराग पाण्डेय	2009	30.08.2017
2	पदम सिंह अलमा	2010	26.08.2017
3	रमेश कुमार शर्मा	2010	26.08.2017
4	धर्मेश कुमार साहू	2010	26.08.2017

ज्योत्स्ना गुप्त, अवर सचिव

दिनांक 4 जनवरी 2019

सं. 14012/01/2017-अ.भा.से.-III—भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2015 बैच के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं:—

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती)	संवर्ग	स्थायीकरण की तिथि
1.	आकांक्षा भास्कर	पश्चिम बंगाल	07.09.2017
2.	धिव्या लोगनाथन	पश्चिम बंगाल	07.09.2017
3.	कुहुक भुषण	पश्चिम बंगाल	07.09.2017
4.	लक्ष्मी भाव्या तन्नीरु	पश्चिम बंगाल	07.09.2017
5.	मनीष मिश्रा	पश्चिम बंगाल	16.09.2017
6.	राजू मिश्रा	पश्चिम बंगाल	07.09.2017
7.	शेवले अभिजीत तुकाराम	पश्चिम बंगाल	07.09.2017
8.	स्मूर्तिराजन मोहंती	पश्चिम बंगाल	07.09.2017
9.	श्रीकांत पल्ली	पश्चिम बंगाल	07.09.2017
10.	तुषार सिंगला	पश्चिम बंगाल	07.09.2017
11.	आदित्य रंजन	झारखंड	07.09.2017

ज्योत्स्ना गुप्त, अवर सचिव

सं. 14012/01/2017-अ.भा.से.-III—भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2015 बैच के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं:—

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती)	संवर्ग	स्थायीकरण की तिथि
1.	अभिषिक्त किशोर मत्तिम	आंध्र प्रदेश	07.09.2017
2.	बालाजी डी. के.	आंध्र प्रदेश	07.09.2017
3.	एम.एन. हरेंधीरा प्रसाद	आंध्र प्रदेश	07.09.2017
4.	सैकांत वर्मा सी.एम.	आंध्र प्रदेश	07.09.2017
5.	विनोद कुमार वी	आंध्र प्रदेश	07.09.2017
6.	अजय कुमार द्विवेदी	उत्तर प्रदेश	07.09.2017
7.	आलोक यादव	उत्तर प्रदेश	07.09.2017
8.	अनुन्या झा	उत्तर प्रदेश	07.09.2017
9.	अरविंद सिंह चौहान	उत्तर प्रदेश	07.09.2017
10.	अरविंद सिंह	उत्तर प्रदेश	07.09.2017
11.	आशीष कुमार	उत्तर प्रदेश	07.09.2017
12.	अस्मिता लाल	उत्तर प्रदेश	07.09.2017
13.	जे रीभा	उत्तर प्रदेश	07.09.2017
14.	जोगिन्द्र सिंह	उत्तर प्रदेश	07.09.2017
15.	मधुसूदन नागराज हुलगी	उत्तर प्रदेश	07.09.2017
16.	महेन्द्र सिंह तवर	उत्तर प्रदेश	07.09.2017
17.	निशा	उत्तर प्रदेश	07.09.2017
18.	पवन अग्रवाल	उत्तर प्रदेश	07.09.2017
19.	प्रणय सिंह	उत्तर प्रदेश	07.09.2017
20.	राजेन्द्र पेनसिया	उत्तर प्रदेश	07.09.2017
21.	शिवशरणप्पा जी.एन.	उत्तर प्रदेश	07.09.2017
22.	थामिन अंसारिया ए.	उत्तर प्रदेश	07.09.2017
23.	निधि गुप्ता	उत्तर प्रदेश	07.09.2017

ज्योत्स्ना गुप्त, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी 2019

सं. 13017/36/2018-अ.भा.से.-I—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य सरकारों की सहमति से केंद्र सरकार एतद्वारा श्री बलकार सिंह, आई.ए.एस. (उत्तर प्रदेश:2004) का वैयक्तिक आधार पर उत्तर प्रदेश संवर्ग से हरियाणा संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए अंतर-संवर्गीय प्रतिनियुक्ति के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करती है।

उदय भान सिंह, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 दिसंबर 2018

सं. पीए-1/45/2018—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों, जो वर्तमान में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II में कार्यरत हैं, को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से इसी सेवा के ग्रेड-I के पद पर स्थानापन्न आधार पर नियुक्त करते हैं:—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (श्री/सुश्री/डॉ.)	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति पश्चात् ग्रेड	पदोन्नति की तारीख
1.	आलोक कुमार सिन्हा	आईएफएस का ग्रेड-II	आईएफएस का ग्रेड-I	01.12.2018 (पूर्वाह्न)
2.	विकास स्वरूप	आईएफएस का ग्रेड-II	आईएफएस का ग्रेड-I	01.12.2018 (पूर्वाह्न)

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I में पदोन्नति होने पर उपरिलिखित अधिकारियों ने उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख के पूर्वाह्न से ग्रेड II का कार्यभार त्याग दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से ग्रेड-I का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

मिजितो विनितो, अवर सचिव (एफएसपी एवं संवर्ग)

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 2018

सं. ए-12011/04/2017—प्रशा. II—राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.12.2018 के का.ज्ञा. सं. 18/9/2018—ईओ(एमएम-1) के अनुसरण में, श्री पवन कुमार, आईआरएस (सीएंडसीई: 2005) को केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 के पूर्वाह्न से आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोबा बेसिल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी 2019

सं. ए-12011/04/2017-प्रशा. II—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.12.2018 के आदेश 5/4/2017-सीएस. I(यू), दिनांक 21.12.2018 के सं. 5/7/2016-सीएस-I(यू)(खंड-II) और दिनांक 28.12.2018 के सं. 5/4/2017-सीएस-I(यू) के अनुसरण में निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को उनके नामों के आगे उल्लिखित तारीख से तदर्थ आधार पर पे मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700—2,08,700) (पूर्व-संशोधित पे बैंड-3 में) (15,600—39100, 6600 ग्रेड वेतन) केंद्रीय सचिवालय सेवा के तहत ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं:—

क्र.सं.	नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	चयन सूची वर्ष	नियुक्ति की तारीख
1.	सुश्री बाहमनी कच्छप	2006	21.12.2018 (पूर्वाह्न)
2.	श्री अरूप कुमार दास	2008	01.01.2019 (पूर्वाह्न)
3.	सुश्री अलका तनेजा	2008	01.01.2019 (पूर्वाह्न)
4.	डॉ. व्योमेश पंत	2009	01.01.2019 (पूर्वाह्न)
5.	श्री बासुदेव टुडु	2009	07.01.2019 (पूर्वाह्न)
6.	श्री रोपना खड़िया	2009	31.12.2018 (अपराह्न)

क्र.सं.	नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	चयन सूची वर्ष	नियुक्ति की तारीख
7.	श्री एम.एल.एन. शास्त्री	2009	01.01.2019 (पूर्वाहन)
8.	श्री दिनेश छंगानी	2009	28.12.2018 (अपराहन)
9.	श्री एन. रमेश कुमार	2009	01.01.2019 (पूर्वाहन)
10.	श्री राजेश गुप्ता	2009	01.01.2019 (पूर्वाहन)

2. उपर्युक्त अधिकारियों की केंद्रीय सचिवालय सेवा के अपर सचिव के ग्रेड में नियुक्ति निम्नलिखित अदालती मामलों के परिणाम और किसी संबंधित मामले में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश के अधीन होगी:—

(i) एसएलपी (सी) सं. 30621/2011,

(ii) एसएलपी (सी) सं. 31288/2017

देबाशीष हल्दर, अपर सचिव

दिनांक 14 जनवरी 2019

सं. ए-22011/04/2017-प्रशा-II—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.12.2018 के आदेश सं. 4/11/2015-सीएस-I(डी)(पार्ट-I)(खंड-III) के अनुसरण में, निम्नलिखित केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के ग्रेड-I (अपर सचिवों) को पे मैट्रिक्स के लेवल 12 (₹ 78,800/- — 2,09,200/-) में पूर्णतः तदर्थ आधार पर 30.06.2019 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पदों के भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों के होने, इनमें से जो भी पहले हो तक उनके नामों के आगे उल्लिखित वरिष्ठता से वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में चयन ग्रेड (उप सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं:—

क्र.सं.	सीएसएस	नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	नियुक्ति की तारीख
1.	5962	टी नरसिम्हन	28.12.2018 (अपराहन)
2.	6144	एस.सी. श्रीवास्तव	31.12.2018 (पूर्वाहन)
3.	6330	अजय कुमार मिश्रा	31.12.2018 (अपराहन)
4.	6444	बी सेनगुप्ता	28.12.2018 (अपराहन)
5.	6495	सैय्यद अली सब्बीर	28.12.2018 (अपराहन)
6.	6640	जय किशोर	28.12.2018 (अपराहन)
7.	6742	विजय सिंह	28.12.2018 (अपराहन)
8.	6745	सुनील कुमार जस्सल	28.12.2018 (अपराहन)
9.	6761	सुशील इक्का	28.12.2018 (अपराहन)
10.	6439बी	अमरजीत सिंह	28.12.2018 (अपराहन)

2. उपर्युक्त अधिकारियों की तदर्थ आधार पर उप सचिव के रूप में नियुक्ति/पदोन्नति दिनांक 28.12.2018 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 4/11/2015-सीएस-I(डी)(पार्ट-I)(खंड-III) में उल्लिखित शर्तों/निर्देशों के अधीन होगी। यह एसएलपी(सी) सं. 30621/2011(जनरैल सिंह और अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता और अन्य) एवं एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और किसी तरह से जुड़े अन्य किसी अदालती मामले के परिणाम के भी अधीन होगी।

देबाशीष हल्दर, अपर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

सं. ए-32014/1/2004-स्थापना (पार्ट)—व्यय विभाग के दिनांक 21.12.2018 के का.जा.सं. ए-12026/5/2015-सीएसएस(खंड-III) के अनुसरण में श्री सुरेश कुमार चौहान को दिनांक 20.12.2018 के पूर्वाहन से चयन सूची वर्ष 2017 के लिए वरिष्ठता कोटे से उन्हें नियमित आधार पर वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2- अनुभाग अधिकारी ग्रेड के पद पर श्री सुरेश कुमार चौहान की नियुक्ति निम्नलिखित न्यायालय मामलों के आदेशों/परिणामों तथा किसी संबंधित मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए किसी अन्य आदेश के अध्यक्षीन हैं:

- (i) एसएलपी (सिविल) सं. 30621/2011, एसएलपी सं. 31288/2017 तथा भारत के उच्चतम न्यायालय में अवमानना याचिका सं. 314/2016
- (ii) श्री दीपक मल्होत्रा और अन्य बनाम भारत सरकार द्वारा दायर ओए सं. 823/2013

मृत्युंजय सिंह, अवर सचिव

सं. ए-32014/1/2004-स्थापना (पार्ट)—व्यय विभाग के दिनांक 21.12.2018 के का-जा-सं. ए-12026/5/2015-सीएस(खंड-III) के अनुसरण में श्रीमती सुषमा वशिष्ठ को दिनांक 20.12.2018 के पूर्वाहन से चयन सूची वर्ष 2017 के लिए वरिष्ठता कोटे से उन्हें नियमित आधार पर वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2- अनुभाग अधिकारी ग्रेड के पद में श्रीमती सुषमा वशिष्ठ की नियुक्ति निम्नलिखित न्यायालय मामलों के आदेशों/परिणामों तथा किसी संबंधित मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए किसी अन्य आदेश के अध्यक्षीन हैं:

- (i) एसएलपी (सिविल) सं. 30621/2011, एसएलपी सं. 31288/2017 तथा भारत के उच्चतम न्यायालय में अवमानना याचिका सं. 314/2016
- (ii) श्री दीपक मल्होत्रा और अन्य बनाम भारत सरकार द्वारा दायर ओए सं. 823/2013

मृत्युंजय सिंह, अवर सचिव

सं. ए-32014/1/2004-स्थापना (पार्ट)—व्यय विभाग के दिनांक 21.12.2018 के का-जा-सं. ए-12026/5/2015-सीएस(खंड-III) के अनुसरण में श्री राजेश कुमार छाबड़ा को दिनांक 20.12.2018 के पूर्वाहन से चयन सूची वर्ष 2017 के लिए वरिष्ठता कोटे से उन्हें नियमित आधार पर वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2- अनुभाग अधिकारी ग्रेड के पद में श्री राजेश कुमार छाबड़ा की नियुक्ति निम्नलिखित न्यायालय मामलों के आदेशों/परिणामों तथा किसी संबंधित मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए किसी अन्य आदेश के अध्यक्षीन हैं:

- (i) एसएलपी (सिविल) सं. 30621/2011, एसएलपी सं. 31288/2017 तथा भारत के उच्चतम न्यायालय में अवमानना याचिका सं. 314/2016
- (ii) श्री दीपक मल्होत्रा और अन्य बनाम भारत सरकार द्वारा दायर ओए सं. 823/2013

मृत्युंजय सिंह, अवर सचिव

सं. ए-32014/1/2004-स्थापना (पार्ट)—व्यय विभाग के दिनांक 21.12.2018 के का-जा-सं. ए-12026/5/2015-सीएस(खंड-III) के अनुसरण में श्री बी- एम- मीणा को दिनांक 20.12.2018 के पूर्वाहन से चयन सूची वर्ष 2017 के लिए वरिष्ठता कोटे से उन्हें नियमित आधार पर वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2- अनुभाग अधिकारी ग्रेड के पद में श्री बी. एम. मीणा की नियुक्ति निम्नलिखित न्यायालय मामलों के आदेशों/परिणामों तथा किसी संबंधित मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए किसी अन्य आदेश के अध्यक्षीन हैं:

- (i) एसएलपी (सिविल) सं. 30621/2011, एसएलपी सं. 31288/2017 तथा भारत के उच्चतम न्यायालय में अवमानना याचिका सं. 314/2016
- (ii) श्री दीपक मल्होत्रा और अन्य बनाम भारत सरकार द्वारा दायर ओए सं. 823/2013

मृत्युंजय सिंह, अवर सचिव

सं. ए-32014/1/2004-स्थापना (पार्ट)—व्यय विभाग के दिनांक 21.12.2018 के का-जा-सं. ए-12026/5/2015-सीएस(खंड-III) के अनुसरण में श्रीमती अर्चना मक्कड़ को दिनांक 24.12.2018 के पूर्वाहन से चयन सूची वर्ष 2017 के लिए वरिष्ठता कोटे से उन्हें नियमित आधार पर वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2- अनुभाग अधिकारी ग्रेड के पद में श्रीमती अर्चना मक्कड़ की नियुक्ति निम्नलिखित न्यायालय मामलों के आदेशों/परिणामों तथा किसी संबंधित मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए किसी अन्य आदेश के अधीन है:

- (i) एसएलपी (सिविल) सं. 30621/2011, एसएलपी सं. 31288/2017 तथा भारत के उच्चतम न्यायालय में अवमानना याचिका सं. 314/2016
- (ii) श्री दीपक मल्होत्रा और अन्य बनाम भारत सरकार द्वारा दायर ओए सं. 823/2013

मृत्युंजय सिंह, अवर सचिव

सं. ए-32014/1/2004-स्थापना (पार्ट)—व्यय विभाग के दिनांक 21.12.2018 के का.जा.सं. ए-12026/5/2015-सीएस(खंड-III) के अनुसरण में श्री ए. के. टंडन को दिनांक 21.12.2018 के पूर्वाह्न से चयन सूची वर्ष 2017 के लिए वरिष्ठता कोटे से उन्हें नियमित आधार पर वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2- अनुभाग अधिकारी ग्रेड के पद में श्री ए. के. टंडन की नियुक्ति निम्नलिखित न्यायालय मामलों के आदेशों/परिणामों तथा किसी संबंधित मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए किसी अन्य आदेश के अधीन है:

- (i) एसएलपी (सिविल) सं. 30621/2011, एसएलपी सं. 31288/2017 तथा भारत के उच्चतम न्यायालय में अवमानना याचिका सं. 314/2016
- (ii) श्री दीपक मल्होत्रा और अन्य बनाम भारत सरकार द्वारा दायर ओए सं. 823/2013

मृत्युंजय सिंह, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसंबर 2018

सं. क-43011(15)/11/2018-एसईजेड(प्रशा.)—राष्ट्रपति द्वारा श्री प्रवीन चन्द्र, भारतीय राजस्व सेवा (सीएवसीई:2005) को वाणिज्य भाग के तहत संयुक्त विकास आयुक्त, पुणे क्लस्टर विशेष आर्थिक क्षेत्र, पुणे के पद पर वेतन बैंड-3 रुपए 15600—39100/- और ग्रेड वेतन रुपए 7600/- में दिनांक 20.03.2017 (पूर्वाह्न) से चार वर्ष की अवधि या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए लागत वसूली आधार पर प्रतिनियुक्ति पर, नियुक्त करते हैं।

आदित्य नारायण, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी 2019

सं. ए-12011/3/2015-स्थापना—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/3/2018-सी.एस. II(ए) के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की निम्नलिखित निजी सचिव को वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67,700 रुपये से 2,08,700 रुपये) में दिनांक 31.12.2018 पूर्वाह्न से दिनांक 30.06.2019 तक की प्रारम्भिक अवधि के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उपभोक्ता मामले विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

क्रम सं.	नाम	पदनाम	जन्म की तारीख	एस- एल- वाई-
1.	कविता अग्निहोत्री	निजी सचिव	24.08.1973	2010
2.	बिन्दु ग्रावर	निजी सचिव	23.03.1966	2010

2. प्रधान निजी सचिव (सी.एस.एस.एस.) के पद पर उपर्युक्त नियुक्तियां, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/3/2018-सी.एस. II (ए) के पैरा 3(vi), (vii), (viii) में यथाउल्लिखित मामलों में माननीय न्यायालय

द्वारा दिए जाने वाले आदेशों तथा किसी सम्बन्धित मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले अगले आदेशों के अध्यक्षीन होगी।

अनिल कुमार पाण्डेय, अवर सचिव

सं. ए-19011/5/2018-स्थापना—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/5/2017-सी.एस. II(ए) के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की प्रधान निजी सचिव, श्रीमती राज रानी को वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78,800 रुपये से 2,09,200 रुपये) में दिनांक 31.12.2018 पूर्वाहन से दिनांक 30.06.2019 तक की प्रारम्भिक अवधि के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उपभोक्ता मामले विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (सी.एस.एस.एस.) के पद पर उपर्युक्त नियुक्ति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/5/2017-सी.एस. II(ए) के पैरा 3(vi),(vii),(viii) में यथाउल्लिखित मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले आदेशों तथा किसी सम्बन्धित मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले अगले आदेशों के अध्यक्षीन होगी।

अनिल कुमार पाण्डेय, अवर सचिव

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसंबर 2018

सं. पीए11013/1/2015-स्था-1—राष्ट्रपति श्री अजय यादव, आई.ए.एस. (बिहार:2005) को 21 दिसम्बर, 2018 की पूर्वाहन से उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) के विशेष-कार्य अधिकारी के रूप में उप सचिव स्तर पर पीबी-3 (रु. 15,600—39,100/—) + ग्रेड वेतन रु. 7600/— (स्तर 12: सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार) के वेतनमान में मंत्री जी के कार्यकाल तक अथवा उनके द्वारा मंत्री जी के विशेषकार्य अधिकारी के रूप में कार्यभार छोड़े जाने तक अथवा अगले होने, तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

राम चन्द्र, अवर सचिव

दिनांक 2 जनवरी 2019

सं. ए-32013/01/2018-ई-1—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/5/2017-सीएस-2(ए) दिनांक 28.12.2018 के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नलिखित प्रधान निजी सचिवों को उनके सामने उल्लिखित तारीख से दिनांक 30.06.2019 तक की अवधि के लिए अथवा उक्त पद नियमित प्रोन्नति से भरे जाने तक अथवा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में तदर्थ आधार पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है:—

क्र.सं.	नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
1.	मीनाक्षी गुप्ता	28.12.2018 (अपराहन)
2.	राजेश कुमार सूरी	28.12.2018 (अपराहन)
3.	लवित रॉबर्टसन	31.12.2018 (पूर्वाहन)
4.	शैलजा पिल्लै	31.12.2018 (पूर्वाहन)

2. वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ग्रेड के पद पर उक्त अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.12.2018 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित शर्तों और निबंधनों तथा आदेशों के अध्यक्षीन है, जिन्हें निम्नलिखित मामलों में माननीय न्यायालयों द्वारा पारित किया जा सकता है:—

- पंजाब और हरियाणा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सीडब्ल्यूपी सं.13218/2009 में पारित अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश से उत्पन्न एसएलपी (सी) सं. 30621/2011 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित मामले।

- ii. ऑल इंडिया इक्विटी फोरम एवं बनाम भारत संघ एवं अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय से उत्पन्न एसएलपी (सी) सं. 31288/2017 तथा किसी सक्षम न्यायालय में चल रहे अन्य मामले;
- iii. संबंधित मामले पर न्यायालय में चल रहा अन्य कोई मामला।

राम चन्द्र, अवर सचिव

सं. ए.3014/02/2018-ई.1—राष्ट्रपति द्वारा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित सहायकों को अनुपचारिक आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति 31.12.2019 तक या जब तक पदों को नियमित आधार पर भरा नहीं जाता है, जो पहले हो:-

क्र.सं.	नाम	अनुभाग अधिकारी के रूप में इस विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्रीमती उषा रावत	01.01.2019 (पूर्वाहन)
2.	श्रीमती रंजीता मोहपात्र	01.01.2019 (पूर्वाहन)
3.	श्रीमती ललिता सिंह	01.01.2019 (पूर्वाहन)

2. उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति विशुद्ध रूप से प्रकृति में तदर्थ है और नियमित नियुक्ति के लिए या CSS के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने के लिए उन पर कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा।

3. उपरोक्त अधिकारियों के सीएसएस के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड की नियुक्ति न्यायालय के निम्नलिखित मामलों के आदेश/परिणाम के अधीन है और इनमें से किसी भी जुड़े मामलों में किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी भी अन्य आदेश के अधीन है:-

- (i) एसएलपी (सी) सं. 30621/2011 अंतिम निर्णय और आदेश से उत्पन्न 15.07.2011 CWP No. 13218 2009 में माननीय उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा द्वारा पारित और माननीय सुप्रीम कोर्ट से पहले अन्य जुड़े मामले।
- (ii) एसएलपी (सी) सं. 31288/2017 माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न हुआ जो दिनांक 23.08.2017 को WP (C) संख्या 3490/2010 में अखिल भारतीय समानता मंच और अन्य बनाम UOI द्वारा दायर किया गया था। किसी भी सक्षम अदालत में ओआरएस और अन्य संबंधित कोर्ट केस; तथा
- (iii) अदालत से जुड़े कोई अन्य मामले।

रामचंद्र, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 13 दिसम्बर 2018

सं. ए. 31012/1/2016-सीचएस. III खंड II—राष्ट्रपति केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण/जन स्वास्थ्य उप संवर्ग में अनुलग्नक (अधिकारी, सीचएस- III द्वारा विधिवत रूप से अधिप्रमाणित) के अनुसार अधिकारियों के नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं।

अनुलग्नक

शिक्षण

सं.	नाम	विशेषज्ञता	अस्पताल	कार्यग्रहण की तिथि	पुष्टिकरण की देय तिथि
1	डॉ राजीव कुमार	सर्जरी	एलएचएमसी, नई दिल्ली	2014/07/21	2015/07/21
2	डॉ अमित कुमार शर्मा	मेडिसिन		2015/12/14	2016/12/14
3	डॉ सुमित राणा	मानसिक रोगों की चिकित्सा		2016/08/16	2017/08/16
4	डॉ प्रेरणा कुकरेती	मानसिक रोगों की चिकित्सा		2016/09/10	2017/09/10
5	डॉ विक्रम खन्ना	बाल चिकित्सा सर्जरी		2016/11/15	2017/11/15

6	डॉ अतुल सरोज	मेडिसिन	पीजीआईएमईआर और डॉ आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली	2015/08/26	2016/08/26
7	डॉ जया जेठरा चावला	ऑब्स. एवं गायनी		2016/09/15	2017/09/15
8	डॉ सागर आत्माराम बोरकर	पीएसएस		2016/02/10	2017/02/10
9	शिप्रा चौधरी	पीएमआर		2016/02/20	2017/02/20
10	मुकेश कुमार शर्मा	प्लास्टिक सर्जरी		2016/08/17	2017/08/17
11	डॉ. प्रियंका खुराना	एनेस्थीसिया	जीएनसीटी, दिल्ली	2015/11/06	2016/11/06
12	डॉ अनु गुप्ता	न्यूरोलॉजी		2015/07/22	2016/07/22
13	डॉ कपिल चौधरी	एनेस्थीसिया		2015/11/09	2016/11/09
14	डॉ बिंदिया गुप्ता	ऑब्स. एवं गायनी		2015/11/06	2016/11/06
15	डॉ अंकित बंसल	कार्डियलजी		2016/03/28	2017/03/28
16	डॉ मोना आर्य	एनेस्थीसिया		2011/03/17	2012/03/17
17	डॉ सुमित सिंगला	मेडिसिन		2013/11/12	2014/11/12
18	डॉ प्रीति जैन	फिजियोलॉजी		2011/06/23	2012/06/23
19	डॉ नरेश कुमार	मेडिसिन		2011/05/05	2012/05/05
20	डॉ शिव नारंग	मेडिसिन		2012/04/29	2013/04/29
21	डॉ प्रदीप कुमारदाबला	बायोकेमिस्ट्री		2012/09/02	2013/09/02
22	डॉ शशांक शेखर पांडा	बाल चिकित्सा सर्जरी		2016/04/06	2017/04/06
23	डॉ अमित कोहली	एनेस्थीसिया		2016/05/31	2017/05/31
24	डॉ लवनीश कुमारबैस	सर्जरी		2016/04/05	2017/04/05
25	डॉ लवकेश कुमार	सर्जरी		2016/08/04	2017/08/04
26	डॉ अभिषेक चोपड़ा	न्यूनेटॉलॉजी		2016/04/22	2017/04/22
27	डॉ विजय गुप्ता	न्यूनेटॉलॉजी		2016/07/14	2017/07/14
28	डॉ दीपक घुलियानी	सर्जरी		2011/02/28	2012/02/28
29	डॉ अनुराग मिश्रा	सर्जरी		2014/03/28	2015/03/28
30	डॉ मोनीषा प्रधान	फोरेंसिक मेडिसिन		2014/04/04	2015/04/04
31	डॉ धीरज डी. बुकेड	फोरेंसिक मेडिसिन		2014/03/28	2015/03/28
32	डॉ संजय पंडित	मेडिसिन		2011/04/15	2012/04/15
33	डॉ रिचा गुप्ता	पैथोलॉजी		2011/08/29	2012/08/29
34	डॉ प्रियंका गोगोई	पैथोलॉजी		15/11/2011	15/11/2012
35	डॉ अनुराग अग्रवाल	पेडियाट्रिक्स		2014/03/19	2015/03/19
36	डॉ रोहित चावला	माइक्रोबायोलॉजी		2014/07/21	2015/07/21
37	डॉ सफल	कार्डियोलॉजी		2016/03/29	2017/03/29
38	डॉ राहुल जैन	पेडियाट्रिक्स		2016/12/23	2017/12/23
39	डॉ महिमा कपूर	मानसिक रोगों की चिकित्सा		2016/08/20	2017/08/20
40	डॉ. नीहारिका धीमान	ऑब्स. एवं गायनी		2016/01/04	2017/01/04
41	डॉ नीलांचलि सिंह	ऑब्स. एवं गायनी		2015/09/04	2016/09/04
42	डॉ ललित गुप्ता	एनेस्थीसिया		2016/08/24	2017/08/24
43	डॉ आशीष	न्यूनेटॉलॉजी		2016/04/01	2017/04/01
44	डॉ अमनदीप कौर	फोरेंसिक मेडिसिन		03/04/2014	2015/04/03
45	डॉ संजय कुमार मुंडा	मानसिक रोगों की चिकित्सा	सीआईपी, रांची	2016/01/07	2017/01/07
46	डॉ शिल्पा सुनेजा	बायोकेमिस्ट्री	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	2015/09/06	2016/09/06
47	डॉ मनीषा जैन	माइक्रोबायोलॉजी		2015/10/29	2016/10/29
48	डॉ अखिलेश मिश्रा	रेडियोथेरेपी		2015/09/17	2016/09/17
49	डॉ निधि सुगंधि	बाल चिकित्सा सर्जरी		2015/04/27	2016/04/27

सार्वजनिक स्वास्थ्य

50	डॉ विकास जनार्दन गोडे	सार्वजनिक स्वास्थ्य	एनसीडीसी राजामुंदरी	2016/05/03	2017/05/03
----	-----------------------	---------------------	---------------------	------------	------------

डी. डी. महेश्वरी, अवर सचिव

दिनांक 14 जनवरी 2019

सं. ए. 12025/34/2016—सीएचएस—III—राष्ट्रपति, महोदय डॉ. वरुण शांतिलाल मेहता को दिनांक 19.08.2016 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में मनोरोग विज्ञान की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

सी. एस. बहुगुना, अवर सचिव

सं. ए. 12025/55/2016—सीएचएस—III—राष्ट्रपति, महोदय डॉ. रोशन खनाडे को दिनांक 23.08.2016 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में मनोरोग विज्ञान की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

सी. एस. बहुगुना, अवर सचिव

सं. ए. 12025/65/2016—सीएचएस—III—राष्ट्रपति, महोदय डॉ. प्रितिष सिंह को दिनांक 03.10.2016 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में हड्डी रोग की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

सी. एस. बहुगुना, अवर सचिव

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 8 जनवरी 2019

सं. 9/4/2016-पावर/259—राष्ट्रपति, इस विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर, जो न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एनपीसीआईएल) में स्थायी प्रतिनियुक्ति पर हैं, को दिनांक 01.07.2018 से अगले आदेश होने तक स्थानापन्न आधार पर उनके सामने दर्शाये गए ग्रेड एवं निम्न विवरण के अनुसार नियुक्त करते हैं।

क्र-	नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	वेतनबैंड / वेतनमान	इकाई
1-	श्री सुशील कुमार जैन	वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजीनियर- ई	वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजीनियर- एफ	(वेतन बैंड PB-4 37400— 67000) (ग्रेड वेतन- 8700) लेवल 13 वेतन मैट्रिक्स	आरएपीएस-3&4

2. उपरोक्त अधिकारी ने दिनांक 01-07-2018(पूर्वाह्न) से अपने निचले पद का कार्यभार त्याग दिया है।

जयश्री एस., अवर सचिव (पावर)

सं. 26/1/2018-सीसीएस/326—राष्ट्रपति, इस विभाग के क्रय एवं भण्डार निदेशालय, मुंबई के सहायक कार्मिक अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स का लेवल 9) श्री वाय. रामजनेयुलु को दिनांक 02-11-2018 (पूर्वाह्न) से प्रभावी रूप में भावी आदेश होने तक भारी पानी संयंत्र, बडौदा में प्रशासनिक अधिकारी-III (वेतन मैट्रिक्स का लेवल 11) के पद पर नियुक्त करते हैं।

जयश्री एस., अवर सचिव

सं. 26/1/2018-सीसीएस/331—राष्ट्रपति, इस विभाग के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई के सहायक कार्मिक अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स का लेवल 9) श्रीमती शोभना नायर को दिनांक 09-10-2018 (पूर्वाह्न) से प्रभावी रूप में भावी आदेश होने तक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई में प्रशासनिक अधिकारी-III (वेतन मैट्रिक्स का लेवल 11) के पद पर नियुक्त करते हैं।

जयश्री एस., अवर सचिव

मुंबई-400001, दिनांक 11 जनवरी 2019

सं. 6(2848)/2018-प्रशा-516—संयुक्त सचिव (एएंडए), पऊवि, श्रीभानु प्रकाश सीएच. वी. के., सहायक, बीएआरसी सुविधाएं, विशाखापट्टनम, को दिनांक 31 दिसंबर 2018 (पूर्वाहन) से भावी आदेश होने तक परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय, मुंबई में कनिष्ठ विश्लेषक [वेतन मैट्रिक्स का लेवल-8] के रूप में नियुक्त करते हैं।

अशोक बीण् गेरीरा, अवर सचिव

निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय

मुंबई-400 094, दिनांक 10 जनवरी 2019

सं. निसेसंप्रनि ई-राजपत्र/स्था-1/2018/07—निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि के अपराहन से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती)	धारित पद	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	श्रीमती विजया वासुदेवन्	सहायक लेखा अधिकारी	31.12.2016
2.	श्री आर.सी. मल्लिक	वैज्ञानिक अधिकारी/ एच	31-12.2016
3.	श्री जी. भगवतीश्वरन	वैज्ञानिक अधिकारी/ एफ	31.12.2016
4.	श्री ए.एस. अन्सारी	वैज्ञानिक अधिकारी/ ई	31.01.2017
5.	श्री सुचिता पाल	वैज्ञानिक अधिकारी/ जी	28.02.2017
6.	श्री के. उन्नीकृष्णन	वैज्ञानिक अधिकारी/ एफ	28.02.2017
7.	श्री ए.सी. नाईक	वैज्ञानिक अधिकारी/ एच +	30.04.2017
8.	श्री विजयकुमार बी.	सहायक कार्मिक अधिकारी	31.05.2017
9.	श्रीमती पुष्पा डी. नांबियार	निजीसहायक (गैर- अनुसचिवीय)	30.06.2017
10.	श्री एस.एफ. कदम	वैज्ञानिक अधिकारी/ ई	31.07.2017
11.	श्री एच.एस. शर्मा	वैज्ञानिक अधिकारी/ ई	31.07.2017
12.	श्री एन. चक्रवर्ती	वैज्ञानिक अधिकारी/ जी	30.09.2017
13.	श्री वी. वेंकटराज	वैज्ञानिक अधिकारी/ एच +	31.10.2017
14.	श्री जी. एस. करवाडे	प्रशासन अधिकारी-III	31.10.2017
15.	श्रीमती परिमला गणेशन्	उप लेखा नियंत्रक	30.11.2017
16.	श्री ए.के. देशमुख	वैज्ञानिक अधिकारी/ जी	31.12.2017
17.	श्री आर. शर्मा	वैज्ञानिक अधिकारी/ एच +	31.12.2017
18.	श्री ए. आर. गजमल	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	31.12.2017
19.	श्री लल्लन पी. केसरी	वैज्ञानिक अधिकारी/ ई	31.01.2018
20.	श्री एन. कृष्णासामी	वैज्ञानिक अधिकारी/ जी	31.03.2018
21.	श्री एस. आर. अमंता	वैज्ञानिक अधिकारी/ ई	30.04.2018
22.	श्री वी. कृष्णन	वैज्ञानिक अधिकारी/ ई	30.04.2018
23.	श्री एन. मुरलीधरन	सहायक कार्मिक अधिकारी	30.09.2018
24.	श्री अनिल श्रीवास्तव	प्रतिष्ठित वैज्ञानिक एवं निदेशक	31.10.2018

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती)	धारित पद	सेवानिवृत्ति की तिथि
25.	श्री एस. वाय. कमानी	सहायक लेखा अधिकारी	30.11.2018
26.	श्री ए. के. जैन	वैज्ञानिक अधिकारी/ जी	31.12.2018
27.	श्री एस. सी. दास	वैज्ञानिक अधिकारी/ ई	31.12.2018
28.	श्री पीनाकी सेन	वैज्ञानिक अधिकारी/ ई	31.12.2018

एस. कोमलवल्ली, प्रशासन अधिकारी-III

हैदराबाद-500062, दिनांक 9 जनवरी 2019

सं. नाईस/काप्रभ-I/03/09/2018/35—राष्ट्रपति द्वारा, श्री सुधीर कुमार शर्मा, स्टेशन अधिकारी/ए, जर्कोनियम परिसर, पलयाकायल को नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 में दिनांक 29-12-2018(पूर्वाह्न) से भावी आदेशों तक अस्थायी हैसियत में उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी/ए के रूप में नियुक्त किया जाता है।

के. पी. एस. पिल्लै, प्रशासन अधिकारी-III

ग्रामीण विकास मंत्रालय
(ग्रामीण विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसंबर 2018

सं. ए. 32014/02/2018—स्थापना-II—राष्ट्रपति, निम्नलिखित नियमित वैयक्तिक सहायकों को उनके नामों के सामने दर्शायी गई कार्य ग्रहण की तिथि से लेवल-08 (47600/- रुपये—151100/- रुपये) के नए वेतन मैट्रिक्स में ग्रामीण विकास मंत्रालय के सी.एस.एस.एस. संवर्ग में निजी सचिव (ग्रुप बी, राजपत्रित) के पद पर तदर्थ आधार पर या अगला आदेश आने तक नियुक्त करते हैं:-

क्र. सं.	नाम (श्री/श्रीमति/कु.)	कार्यभार ग्रहण की तिथि
1.	विक्रम सिंह असवाल	03.12.2018 (पूर्वाह्न)
2.	ज्योत्सना वर्मा	20.11.2018 (अपराह्न)
3.	ललित दुआ	26.11.2018 (पूर्वाह्न)
4.	के. सत्याबामा	20.11.2018 (अपराह्न)
5.	राजीव कौशल	22.11.2018 (पूर्वाह्न)
6.	तिलक राज	20.11.2018 (अपराह्न)
7.	सुनील कुमार तंवर	20.11.2018 (पूर्वाह्न)

धीरज कुमार रंजन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 24 दिसंबर 2018

सं. ए. 32013/01/2016—स्थापना-II—राष्ट्रपति, श्री मधु थोटा को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (CSSS) की वर्ष 2016 की प्रवर सूची में उनके नाम से सम्मिलित किये जाने पर नए वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 में ग्रामीण विकास संवर्ग में प्रधान निजी सचिव के रूप में दिनांक 22.11.2018 (अपराह्न) से नियुक्त करते हैं।

धीरज कुमार रंजन, अवर सचिव

दिनांक 02 जनवरी 2019

सं. ए. 32014/02/2018—स्थापना-II—राष्ट्रपति, डाक विभाग में नियमित वैयक्तिक सहायक श्रीमती सरस्वती राजेश को, ग्रामीण विकास मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (CSSS) संवर्ग में, दिनांक 30.11.2018 (अपराह्न) से लेवल-08 (47600 रुपये—151100 रुपये) के नए वेतन मैट्रिक्स में तदर्थ आधार पर या अगले ओदश तक निजी सचिव (ग्रुप बी, राजपत्रित) नियुक्त करते हैं।

धीरज कुमार रंजन, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 दिसंबर 2018

सं. ए. 12025/(1)/1/2010—स्थापना—II—सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में सक्षम प्राधिकारी, सशस्त्र सीमा बल महानिदेशालय (गृह मंत्रालय के अधीन) के एक नियमित प्रचार अधिकारी श्री एस.पी. मिश्रा को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में उप निदेशक (मीडिया) के रूप में उनकी प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल मौजूदा शर्तों पर 01.02.2019 से 31.01.2020 तक अगले एक वर्ष (7वें वर्ष) के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।

अशोकन पी. के., अवर सचिव

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी 2019

शुद्धिपत्र

सं. ई(ओ)III-2018/आरएन/26—रेलवे बोर्ड के दिनांक 11.06.2018 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री दीपक अरोड़ा, का ग्रेड को वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (गैर-कार्यात्मक) के बजाय वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ('एन बी आर' के अंतर्गत) के रूप में पढ़ा जाए।

रंजनेश सहाय, सचिव

सं. ई(ओ)III-2018/आरएन/41—रेलवे बोर्ड के दिनांक 10.12.2018 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री देबाशीष रंजन पाल, का ग्रेड को एसएजी/आईआरएसएसई के बजाय एनएफ-एचएजी/आईआरएसएसई के रूप में पढ़ा जाए।

रंजनेश सहाय, सचिव

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली—110003, दिनांक 18 दिसम्बर 2018

सं. 7/4/2016—प्रशासन—1—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, के कार्यालय आदेश संख्या 4/2/2018—सी एस. II (ऐ) दिनांक 22.11.2018 की शर्तों में, निम्नलिखित निजी सहायकों को नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय में निजी सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर दिनांक 18.12.2018 के पूर्वाह्न से 30.06.2019 तक की अवधि के लिए या नियमित निजी सचिव उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, पदोन्नति किया गया।

1. श्रीमति शशि बाला छटवाल
2. श्री राकेश कुमार

के. जी. सुरेश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 2 जनवरी 2019

सं. 6/170/89—प्रशासन—1—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के श्री आई.पी. सिंह. वैज्ञानिक 'एफ', दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए।

अरविंद पोखरियाल, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

सं. 10(क)/18 (फा. सं. 2-4/7/2018—प्रशा. II)—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.09.2018 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/4/2018—सी.एस.—I(एस) के अनुसरण में विद्युत मंत्रालय के श्री घनश्याम वशिष्ठ, सहायक अनुभाग अधिकारी, विद्युत मंत्रालय को चयन सूची वर्ष 2016 के लिए वरिष्ठता कोटे के लिए 03 दिसंबर, 2018 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर केंद्रीय सचिवालय सेवा के विद्युत मंत्रालय केंद्र में पे मैट्रिक्स के स्तर 8 में अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त किया जाता है।

2. नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के ग्रेड के लिए उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन तथा निम्नलिखित न्यायिक मामलों के आदेशों/परिणाम और उपरोक्त के अतिरिक्त, इससे जुड़े किसी मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अन्य आदेश के भी अध्यधीन है:

- (i) भारतीय उच्चतम न्यायालय में एसएलपी (सिविल) सं. 30621/2011, एसएलपी सं. 31288/2017 और अवमानना याचिका सं. 314/2016
- (ii) श्री दीपक मल्होत्रा एवं अन्य बनाम संघ सरकार द्वारा दायर ओए सं. 823/2013

एस. वेंकटेश्वरलु, अवर सचिव

सं. 10(ख)/18 (फा. सं. 2-4/7/2018—प्रशा. II)—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.09.2018 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/4/2018—सी.एस.—I(एस) के अनुसरण में विद्युत मंत्रालय के सुश्री प्रेम लता हंस, सहायक अनुभाग अधिकारी, विद्युत मंत्रालय को चयन सूची वर्ष 2016 के लिए वरिष्ठता कोटे के लिए 03 दिसंबर, 2018 (पूर्वाहन) से नियमित आधार पर केंद्रीय सचिवालय सेवा के विद्युत मंत्रालय कैंडर में पे मैट्रिक्स के स्तर 8 में अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त किया जाता है।

2. नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के ग्रेड के लिए उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन तथा निम्नलिखित न्यायिक मामलों के आदेशों/परिणाम और उपरोक्त के अतिरिक्त, इससे जुड़े किसी मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अन्य आदेश के भी अध्यधीन है:

- (i) भारतीय उच्चतम न्यायालय में एसएलपी (सिविल) सं. 30621/2011, एसएलपी सं. 31288/2017 और अवमानना याचिका सं. 314/2016
- (ii) श्री दीपक मल्होत्रा एवं अन्य बनाम संघ सरकार द्वारा दायर ओए सं. 823/2013

एस. वेंकटेश्वरलु, अवर सचिव

सं. 10(ग)/18 (फा. सं. 2-4/7/2018—प्रशा. II)—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.09.2018 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/4/2018—सी.एस.—I(एस) के अनुसरण में विद्युत मंत्रालय के सुश्री नीलम रवि, सहायक अनुभाग अधिकारी, विद्युत मंत्रालय को चयन सूची वर्ष 2016 के लिए वरिष्ठता कोटे के लिए 03 दिसंबर, 2018 (पूर्वाहन) से नियमित आधार पर केंद्रीय सचिवालय सेवा के विद्युत मंत्रालय कैंडर में पे मैट्रिक्स के स्तर 8 में अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त किया जाता है।

2. नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के ग्रेड के लिए उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन तथा निम्नलिखित न्यायिक मामलों के आदेशों/परिणाम और उपरोक्त के अतिरिक्त, इससे जुड़े किसी मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अन्य आदेश के भी अध्यधीन है:—

- (i) भारतीय उच्चतम न्यायालय में एसएलपी (सिविल) सं. 30621/2011, एसएलपी सं. 31288/2017 और अवमानना याचिका सं. 314/2016
- (ii) श्री दीपक मल्होत्रा एवं अन्य बनाम संघ सरकार द्वारा दायर ओए सं. 823/2013

एस. वेंकटेश्वरलु, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 2nd January 2019

No. A-22017/2/2004-PME—The President is pleased to appoint Dr. Hiren Joshi, HoD in ICT Department of Manikya Lal Verma Textile and Engineering College, Bhilwara, Government of Rajasthan, presently holding the post of Officer on Special Duty (IT) in the Prime Minister's Office, as Officer on Special Duty (Communications & IT) in the Pay level-13 with immediate effect.

2. The appointment of Dr. Hiren Joshi as Officer on Special Duty (Communications & IT) will be on the same approved terms and conditions as for Officer on Special Duty (IT) and also will be co-terminus with the tenure of and at. The discretion of the Prime Minister.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

The 10th January 2019

No. A-22012/2(i)/2018-PME—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 2/5/2017-CS.II(A) dated 28.12.2018, the President is pleased to appoint Shri Y. Subba Rao [CSL No. 237] as Senior Principal Private Secretary (Sr. PPS) of Central Secretariat Stenographers' Service in the Prime Minister's Office on ad-hoc basis in Level – 12 of the Pay Matrix with effect from the forenoon of 28th December, 2018, for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up through regular promotion or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion to the grade of Senior Principal Private Secretary will be subject to the following conditions:—

- i. The ad-hoc promotion shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select list for regular appointment or to claim seniority in the grade of Sr. PPS of CSSS;
- ii. Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof;
- iii. The service rendered on ad-hoc basis in the Sr. PPS grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;
- iv. The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;
- v. The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs UOI & Others and other related court cases in any competent court;
- vi. Any other court cases in a connected matter.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A.22012/2(ii)/2018-PME—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 2/5/2017-CS.II(A) dated 28.12.2018, the President is pleased to appoint Shri Pawan Kumar Dubey [CSL No. 261] as Senior Principal Private Secretary (Sr. PPS) of Central Secretariat Stenographers' Service in the Prime Minister's Office on ad-hoc basis in Level – 12 of the Pay Matrix with effect from the forenoon of 31st December, 2018, for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up through regular promotion or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion to the grade of Senior Principal Private Secretary will be subject to the following conditions:—

- i. The ad-hoc promotion shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select list for regular appointment or to claim seniority in the grade of Sr. PPS of CSSS;
- ii. Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof;
- iii. The service rendered on ad-hoc basis in the Sr. PPS grade would not be count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;
- iv. The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;

- v. The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs UOI & Others and other related court cases in any competent court;
- vi. Any other court cases in a connected matter.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

The 10th January 2019

No. A.22012/2(iii)/2018-PME—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 2/5/2017-CS.II(A) dated 28.12.2018, the President is pleased to appoint Shri Ashwani Batra [CSL No. 406] as Senior Principal Private Secretary (Sr. PPS) of Central Secretariat Stenographers' Service in the Prime Minister's Office on ad-hoc basis in Level – 12 of the Pay Matrix with effect from the forenoon of 28th December, 2018, for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up through regular promotion or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion to the grade of Senior Principal Private Secretary will be subject to the following conditions:—

- i. The ad-hoc promotion shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select list for regular appointment or to claim seniority in the grade of Sr. PPS of CSSS;
- ii. Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof;
- iii. The service rendered on ad-hoc basis in the Sr. PPS grade would not be count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;
- iv. The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;
- v. The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs UOI & Others and other related court cases in any competent court;
- vi. Any other court cases in a connected matter.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

The 11th January 2019

No. A-22012/1/2018-PME(Pt.4)—Shri Syed Ekram Rizwi, Director has relinquished the charge of the post of Director in the Prime Minister's Office and his services have been placed at the disposal of the Department of Personnel & Training with effect from the afternoon of 11th January, 2019.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

The 14th January 2019

No. A.22012/2(i)/2019-PME(Pt.-1)—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 3/3/2018-CS.II(A) dated 28.12.2018, the President is pleased to appoint Shri Surinder Singh [CSL No. 289] as Principal Private Secretary (PPS) of Central Secretariat Stenographers' Service in the Prime Minister's Office on ad-hoc basis in Level – 11 of the Pay Matrix with effect from the forenoon of 31st December, 2018, for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up through regular promotion or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion to the grade of Principal Private Secretary will be subject to the following conditions:—

- i. The ad-hoc promotion shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade of PPS of CSSS;
- ii. Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof;
- iii. The service rendered on ad-hoc basis in the PPS grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;
- iv. The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;

- v. The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs UOI & Others and other related court cases in any competent court;
- vi. Any other court cases in a connected matter.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A.22012/2(ii)/2019-PME(Pt.-1)—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 3/3/2018-CS.II(A) dated 28.12.2018, the President is pleased to appoint Shri Atul Singh Bisht [CSL No. 309] as Principal Private Secretary (PPS) of Central Secretariat Stenographers' Service in the Prime Minister's Office on ad-hoc basis in Level – 11 of the Pay Matrix with effect from the forenoon of 28th December, 2018, for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up through regular promotion or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion to the grade of Principal Private Secretary will be subject to the following conditions:—

- i. The ad-hoc promotion shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select list for regular appointment or to claim seniority in the grade of PPS of CSSS;
- ii. Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof;
- iii. The service rendered on ad-hoc basis in the PPS grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;
- iv. The SLP (C) NO. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;
- v. The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs UOI & Others and other related court cases in any competent court;
- vi. Any other court cases in a connected matter.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A.22012/2(iii)/2019-PME(Pt.-1)—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 3/3/2018-CS.II(A) dated 28.12.2018, the President is pleased to appoint Shri Rajendra Kumar [CSL No. 496] as Principal Private Secretary (PPS) of Central Secretariat Stenographers' Service in the Prime Minister's Office on ad-hoc basis in Level – 11 of the Pay Matrix with effect from the forenoon of 31st December, 2018, for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up through regular promotion or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion to the grade of Principal Private Secretary will be subject to the following conditions:—

- i. The ad-hoc promotion shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select list for regular appointment or to claim seniority in the grade of PPS of CSSS;
- ii. Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof;
- iii. The service rendered on ad-hoc basis in the PPS grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;
- iv. The SLP (C) NO. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;
- v. The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs UOI & Others and other related court cases in any competent court;
- vi. Any other court cases in a connected matter.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A.22012/2(iv)/2019-PME(Pt.-1)—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 3/3/2018-CS.II(A) dated 28.12.2018, the President is pleased to appoint Shri Raj Kumar [CSL No. 509] as Principal Private Secretary (PPS) of Central Secretariat Stenographers' Service in the Prime Minister's Office on ad-hoc basis in Level – 11 of the Pay

Matrix with effect from the forenoon of 31st December, 2018, for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up through regular promotion or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion to the grade of Principal Private Secretary will be subject to the following conditions:—

- i. The ad-hoc promotion shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select list for regular appointment or to claim seniority in the grade of PPS of CSSS;
- ii. Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof;
- iii. The service rendered on ad-hoc basis in the PPS grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;
- iv. The SLP (C) NO. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;
- v. The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs UOI & Others and other related court cases in any competent court;
- vi. Any other court cases in a connected matter.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22012/2(v)/2019-PME(Pt.-1)— In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 3/3/2018-CS.II(A) dated 28.12.2018, the President is pleased to appoint Shri Parveen Kumar Arora [CSL No. 599] as Principal Private Secretary (PPS) of Central Secretariat Stenographers' Service in the Prime Minister's Office on ad-hoc basis in Level-11 of the Pay Matrix with effect from the forenoon of 28th December, 2018, for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up through regular promotion or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion to the grade of Principal Private Secretary will be subject to the following conditions:

- i. The ad-hoc promotion shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select list for regular appointment or to claim seniority in the grade of PPS of CSSS;
- ii. Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof;
- iii. The service rendered on ad-hoc basis in the PPS grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;
- iv. The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;
- v. The SLP(C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs UOI & Others and other related court cases in any competent court;
- vi. Any other court cases in a connected matter.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22012/2(vi)/2019-PME(Pt.-1)—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 3/3/2018-CS.II(A) dated 28.12.2018, the President is pleased to appoint Ms. Parveen Arora [CSL No. 608] as Principal Private Secretary (PPS) of Central Secretariat Stenographers' Service in the Prime Minister's Office on ad-hoc basis in Level—11 of the Pay Matrix with effect from the forenoon of 31st December, 2018, for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up through regular promotion or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion to the grade of Principal Private Secretary will be subject to the following conditions:

- i. The ad-hoc promotion shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select list for regular appointment or to claim seniority in the grade of PPS of CSSS;
- ii. Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof;
- iii. The service rendered on ad-hoc basis in the PPS grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;

- iv. The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;
- v. The SLP(C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs UOI & Others and other related court cases in any competent court;
- vi. Any other court cases in a connected matter.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22012/2(vii)/2019-PME(Pt.-1)— In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 3/3/2018-CSJI(A) dated 28.12.2018, the President is pleased to appoint Shri R. Ramachandran [CSL No. 658] as Principal Private Secretary (PPS) of Central Secretariat Stenographers' Service in the Prime Minister's Office on ad-hoc basis in Level-11 of the Pay Matrix with effect from the forenoon of 31st December, 2018, for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up through regular promotion or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion to the grade of Principal Private Secretary will be subject to the following conditions:

- i. The ad-hoc promotion shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select list for regular appointment or to claim seniority in the grade of PPS of CSSS;
- ii. Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof;
- iii. The service rendered on ad-hoc basis in the PPS grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;
- iv. The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;
- v. The SLP(C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs UOI & Others and other related court cases in any competent court;
- vi. Any other court cases in a connected matter.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22012/2(viii)/2019-PME(Pt.-1)—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 3/3/2018-CS.II(A) dated 28.12.2018, the President is pleased to appoint Shri Ashok Kumar Sharma [CSL No. 694] as Principal Private Secretary (PPS) of Central Secretariat Stenographers' Service in the Prime Minister's Office on ad-hoc basis in Level-11 of the Pay Matrix with effect from the forenoon of 28th December, 2018, for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up through regular promotion or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion to the grade of Principal Private Secretary will be subject to the following conditions:

- i. The ad-hoc promotion shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select list for regular appointment or to claim seniority in the grade of PPS of CSSS;
- ii. Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof;
- iii. The service rendered on ad-hoc basis in the PPS grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;
- iv. The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;
- v. The SLP(C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs UOI & Others and other related court cases in any competent court;
- vi. Any other court cases in a connected matter.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22012/2(ix)/2019-PME(Pt.-1)—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 3/3/2018-CS.II(A) dated 28.12.2018, the President is pleased to appoint Shri Umraw Singh [CSL No. 770] as Principal Private Secretary (PPS) of Central Secretariat Stenographers' Service in the Prime Minister's Office on ad-hoc basis in Level - 11 of the Pay Matrix with effect from the forenoon of 31st December, 2018, for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up through regular promotion or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion to the grade of Principal Private Secretary will be subject to the following conditions:

- i. The ad-hoc promotion shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select list for regular appointment or to claim seniority in the grade of PPS of CSSS;
- ii. Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof;
- iii. The service rendered on ad-hoc basis in the PPS grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;
- iv. The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;
- v. The SLP(C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs UOI & Others and other related court cases in any competent court;
- vi. Any other court cases in a connected matter.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22012/2(x)/2019-PME(Pt.-1)—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 3/3/2018-CS.II(A) dated 28.12.2018, the President is pleased to appoint Shri Jagbir Singh [CSL No. 829] as Principal Private Secretary (PPS) of Central Secretariat Stenographers' Service in the Prime Minister's Office on ad-hoc basis in Level-11 of the Pay Matrix with effect from the forenoon of 28th December, 2018, for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up through regular promotion or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion to the grade of Principal Private Secretary will be subject to the following conditions:

- i. The ad-hoc promotion shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select list for regular appointment or to claim seniority in the grade of PPS of CSSS;
- ii. Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof;
- iii. The service rendered on ad-hoc basis in the PPS grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;
- iv. The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;
- v. The SLP(C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs UOI & Others and other related court cases in any competent court;
- vi. Any other court cases in a connected matter.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. G. F.402/2015-PME—In terms of Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, Shri Amrik Singh, Deputy Secretary is designated as Appellate Authority with effect from 11th January, 2019 in respect of all matters under the said Act pertaining to the Prime Minister's Office.

2. This issues in supersession of this Office's Notification No.G.F.627/2017-PME dated 08.05.2015.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

The 15th January 2019

No. A.22017/2/2004-PME—In terms of Department of Personnel & Training's Office Memoranda No. 21/11/2006-EO(MM-I) dated 11.09.2018, 15.10.2018 and 27.12.2018, the President is pleased to extend the tenure of Central Deputations of Shri N.C. Jhingta, Deputy Inspector General in Shashtra Seema Bal, as Secretary to former Prime Minister (Late Atal Bihari Vajpayee) for the period beyond 22.05.2018 and up to 30.11.2018.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

NITI AAYOG

New Delhi, the 28th October 2018

No. F.6(2286)/2017-Adm.II—In pursuance of DoPT's OM No. 7/1/2016-EO (MM.II)-Pt. I dated 04.10.2018, the post of Deputy Secretary, held by Ms. Anamika Singh, IAS: UP: 2004, is re-designated as Director (Level-13), as a measure personal to her, w.e.f. 04.10.2018.

2. Ms. Anamika Singh, Director, Niti Aayog's central deputation tenure will remain the same i.e. upto 05.05.2020(combined tenure of 7 years) or until further orders, whichever event takes place earlier. She counts her central deputation tenure w.e.f. 06.05.2013.

DINESH KOCHHER, Under Secretary

The 29th October 2018

No. A-19012/03/2017-Adm.I—In pursuance of DoPT's OM No. 7/8/2012-EO(SM.II) dated 06-10-2017 and consequent upon completion of deputation tenure in Niti Aayog, Shri J P Mishra, Adviser is relieved from Niti Aayog w.e.f. 31.10.2018 (A.N.) to join his parent cadre.

DINESH KOCHHER, Under Secretary

The 22nd November 2018

No. A-12025/01/2017-Adm.IA.—In pursuance of DoPT's communication no. 33/09/2018-EO(SM-I) dated 13-11-2018 the President is pleased to appoint Shri Parag Gupta, IAS (OD: 1988) as Adviser (level-14), Niti Aayog on lateral shift basis, under Central Staffing Scheme w.e.f. 14.11.2018(A.N.) for an overall tenure of 5 years upto 29.06.2020 or until further orders, whichever is earlier.

DINESH KOCHHER, Under Secretary

The 10th December 2018

No. A-32011/01/2016-Adm.I—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. NO. 4/05/2013-CS.I(D) dated 29th November, 2018, the tenure of ad-hoc appointment of following Under Secretaries who are officiating as Deputy Secretaries on ad hoc basis is extended upto 30.6.2019 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier:

1. Shri Ajit Kumar (CSL No. 5481)
2. Shri Shashi Pal (CSL No. 5692)
3. Shri Rajive Sabharwal (CSL No. 5791)

2. The extension of ad hoc appointment is subject to the conditions mentioned in DoPT's Order No. 4/14/2011-CS.I (D) dated 31.07.2012 and subsequent orders for promotion of Under Secretaries of the CSS to the grade of Deputy Secretary on ad hoc basis.

DINESH KOCHHER, Under Secretary

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
(DELHI SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT)

New Delhi, the 16th January 2019

No. DP/Pers. 1/2018/193/3/39/2014—Shri B. Shankar Rao, Deputy Superintendent of Police, CBI, ACB, Hyderabad has relinquished charge of the post of Deputy Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon 31.12.2018 on attaining the age of retirement on superannuation.

D. P. SINGH, Admn. Officer (Pers.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

The 20th December 2018

No. I-11014/9/2018-IPS.IV—In exercise of powers conferred under Sub-Rule(2) of Rule 5 of Indian Police Service (Cadre) Rules-1954, and with the concurrence of the Government of Maharashtra and Jharkhand, the Central Government hereby transfers Ms. Priyanka Meena, IPS (MH:2013) from Maharashtra to Jharkhand on the grounds of her marriage with Shri Suraj Kumar, IAS (JH:2013).

ANJAN SARKAR, Under Secretary

CORRIGENDUM

New Delhi, the 18 December 2018

No. I-18012/2/2018-IPS.I—In partial modification of this Ministry's Notification No. I-18012/2/2018-IPS-1 dated 04.10.2018 para-I may be read as under:—

“In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following members of the Indian Police Service allocated to the Cadre of unified Andhra Pradesh in the Indian Police Service, with effect from the dates indicated against each”

2. The other content of the order dated 04.10.2018 will remain unchanged.

AJAY KUMAR SINGH, Under Secretary

The 2nd January 2019

No. I-18012/04/2018-IPS.I—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Shiv Charan, IPS (SPS: 9999) of Haryana Cadre w.e.f. 07.06.2014.

AJAY KUMAR SINGH, Under Secretary

The 8th January 2019

No. I-18012/01/2019-IPS-I—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following members of the Indian Police Service allocated to the Cadre of Uttarakhand in the Indian Police Service, with effect from the dates indicated against each:—

S.No.	Names of the Officers	Date of Confirmation
01.	Dadan Pal	02.08.2017
02.	Sukhbeer Singh	02.08.2017
03.	Mukesh Kumar	03.08.2018

AJAY KUMAR SINGH, Under Secretary

DISASTER MANAGEMENT DIVISION

New Delhi-110001, the 1st January 2019

No. 47-8/2010-DM-III Vol-II—The president is pleased to appoint Shri Samir Kumar, as Deputy Project Director in the Project Management Unit of National Cyclone Risk Mitigation Project (NCRMP), National Disaster Management Authority under Ministry of Home Affairs on deputation basis w.e.f. 12.2018 (FN) in the pay matrix in Level 13 (as per the 7th CPC) for a period of 03 years initially or till completion of the Project, whichever is earlier.

SURENDRA THAKUR, Under Secretary

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi the 26th December 2018

No. 14013/02/2018-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following member of the Indian Administrative Service of borne on the State Cadre of Chhattisgarh in the Indian Administrative Service, with effect the dat(s) shown against them:—

	Name of Officer	Batch	Due date of Confirmation
1.	Anurag Pandey	2009	20.09.2017
2.	Padum Singh Alma	2010	26.08.2017
3.	Ramesh Kumar Sharma	2010	26.08.2017
4.	Dharmesh Kumar Sahu	2010	26.08.2017

JYOTSNA GUPTA, Under Secretary

The 4th January 2019

No. 14012/01/2017-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, the following member of the Indian Administrative Service of 2015 batch in the Indian Administrative Service, with effect from date(s) shown against them.

Sl. No.	Name of Officer (Shri/Smt)	Cadre	Date of Confirmation
1.	Akanksha Bhaskar	West Bengal	07.09.2017
2.	Dhivya Loganathan	West Bengal	07.09.2017
3.	Kuhuk Bhushan	West Bengal	07.09.2017
4.	Lakshmi Bhavya Tanneeru	West Bengal	07.09.2017
5.	Manish Mishra	West Bengal	16.09.2017
6.	Raju Mishra	West Bengal	07.09.2017
7.	Shevale Abhijit Tukaram	West Bengal	07.09.2017
8.	Smrutiranjana Mohanty	West Bengal	07.09.2017
9.	Srikanth Palli	West Bengal	07.09.2017
10.	Tushar Singla	West Bengal	07.09.2017
11.	Aditya Ranjan	Jharkhand	07.09.2017

JYOTSNA GUPTA, Under Secretary

No. 14012/01/2017-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, the following member of the Indian Administrative Service of 2015 batch in the Indian Administrative Service, with effect from date(s) shown against them.

Sl. No.	Name of Officer (Shri/Smt)	Cadre	Date of Confirmation
1.	Abhishikth Kishore Muttim	Andhra Pradesh	07.09.2017
2.	Balaji D.K.	Andhra Pradesh	07.09.2017
3.	M.N. Harendhira Prasad	Andhra Pradesh	07.09.2017
4.	Saikanth Varma C.M.	Andhra Pradesh	07.09.2017
5.	Vinod Kumar V	Andhra Pradesh	07.09.2017
6.	Ajay Kumar Dwivedi	Uttar Pradesh	07.09.2017
7.	Alok Yadav	Uttar Pradesh	07.09.2017
8.	Anunaya Jha	Uttar Pradesh	07.09.2017
9.	Arvind Kumar Chauhan	Uttar Pradesh	07.09.2017
10.	Arvind Singh	Uttar Pradesh	07.09.2017
11.	Ashish Kumar	Uttar Pradesh	07.09.2017
12.	Asmita Lal	Uttar Pradesh	07.09.2017
13.	J. Reebha	Uttar Pradesh	07.09.2017
14.	Jogindra Singh	Uttar Pradesh	07.09.2017
15.	Madhusudan Nagaraj Hulgi	Uttar Pradesh	07.09.2017
16.	Mahender Singh Tawar	Uttar Pradesh	07.09.2017
17.	Nisha	Uttar Pradesh	07.09.2017
18.	Pavan Agarwal	Uttar Pradesh	07.09.2017
19.	Pranay Singh	Uttar Pradesh	07.09.2017
20.	Rajender Pensiya	Uttar Pradesh	07.09.2017
21.	Shivasharanappa G.N.	Uttar Pradesh	07.09.2017

Sl. No.	Name of Officer (Shri/Smt)	Cadre	Date of Confirmation
22.	Thameem Ansariya A.	Uttar Pradesh	07.09.2017
23.	Nidhi Gupta	Uttar Pradesh	07.09.2017

JYOTSNA GUPTA, Under Secretary

No.13017/36/2018-AIS-I—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Uttar Pradesh and Haryana, the Central Government hereby accords approval to the proposal for inter cadre deputation of Shri Balkar Singh, IAS (UP:2004) from Uttar Pradesh cadre to Haryana cadre for a period of three years on personal grounds from the date of assumption of charge or until further orders, whichever is earlier.

UDAI BHAN SINGH, Under Secretary

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 5th December 2018

No. PA-I/45/2018—The President is pleased to appoint the under-mentioned officers, presently in Grade II of the Indian Foreign Service (IFS), to officiate in Grade-I of the Service with effect from the date(s) mentioned against their names.

Sl.No.	Name of the Officer	Present Grade	Grade after Promotion	Date of Promotion
1.	Alok Kumar Sinha	Grade-II of IFS	Grade-I of IFS	01.12.2018(F/N)
2.	Vikas Swarup	Grade-II of IFS	Grade-I of IFS	01.12.2018(F/N)

2. On promotion of Grade-I of IFS, the above mentioned officers relinquished charge of their posts in the Grade-II of IFS in the forenoon of the date mentioned against their names and assumed charge of their post in Grade-I of IFS with effect from forenoon of the same date.

MIJITO VINITO, Under Secretary

MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 26th December 2018

No. A. 12011/04/2017-Admn. II.—In pursuance of Department of Personnel and Training OM No. 18/09/2018-EO (MM-I) dated 04.12.2018, the President is pleased to appoint Shri Pawan Kumar, IRS (C & CE: 2005) as Deputy Secretary in Department of Economic Affairs, Ministry of Finance under Central Staffing Scheme for a period of four years with effect from forenoon of 20th December, 2018.

SHOBA BASIL, Under Secretary

New Delhi, the 8th January 2019

No. A-12011/04/2017-Ad.II—In pursuance of DoPT's Orders 5/4/2017-CS.I(U), dated 31.12.2018, 5/7/2016-CS.I(U) (Vol.II), dated 21.12.2018 and 5/4/2017-CS.I(U), 28.12.2018, the President is pleased to appoint the following Section Officers as Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Pay Matrix level- 11 (Rs. 67,700—2,08,700)[pre-revised PB-3 (Rs. 15,600- 39,100, Grade Pay of Rs.6600/-)] purely on ad-hoc basis, with effect from the date mentioned against each:—

S. No.	Name (Shri/Smt./Ms)	S.L. Year	Date of appointment
1.	Ms. Bahamani Kachhap	2006	21.12.2018 (FN)
2.	Shri Arup Kumar Das	2008	01.01.2019 (FN)
3.	Ms. Alka Taneja	2008	01.01.2019 (FN)
4.	Dr. Vyomesh Pant	2009	01.01.2019 (FN)
5.	Shri Basudev Tudu	2009	07.01.2019 (FN)
6.	Shri Ropna Kharia	2009	31.12.2018 (AN)

S. No.	Name (Shri/Smt./Ms)	S.L. Year	Date of appointment
7.	Shri M.L.N. Sastry	2009	01.01.2019 (FN)
8.	Shri Dinesh Changrani	2009	28.12.2018 (AN)
9.	Shri N. Ramesh Kumar	2009	01.01.2019 (FN)
10.	Shri Rajesh Gupta	2009	01.01.2019 (FN)

2. The appointment of above mentioned officers to the grade of Under Secretary of CSS shall be subject to the outcome of the following Court Cases and also any other order by any Competent Court in any of the connected matters:-

- (i) SLP (C) No. 30621/2011,
- (ii) SLP (C) No. 31288/2017

DEBASHISH HALDER, Under Secretary

The 14th January 2019

No. A-22011/04/2017-Ad.II—In pursuance of Department of Personnel & Training Order No. 4/11/2015-CS-I(D), (pt-I) (Vol.III), dated 28.12.2018, the President is pleased to appoint the following Grade-I (Under Secretaries) officers of the Central Secretariat Service (CSS) to the Selection Grade (Deputy Secretary) in the Pay Matrix Level-12 (Rs. 78,800—2,09,200) purely on (ad-hoc) basis for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs against Seniority with effect from the date mentioned against each:—

S. No.	CSL	Name (Shri/Smt./Ms)	Date of Joining
1.	5962	T. Narasimhan	28.12.2018 (AN)
2.	6144	S. C. Srivastava	31.12.2018 (FN)
3.	6330	Ajay Kumar Mishra	31.12.2018 (AN)
4.	6444	B Sengupta	28.12.2018 (AN)
5.	6495	Syad Ali Sabeer	28.12.2018 (AN)
6.	6640	Jai Kishore	28.12.2018 (AN)
7.	6742	Vijay Singh	28.12.2018 (AN)
8.	6745	Sunil Kumar Jassal	28.12.2018 (AN)
9.	6761	Sushil Ekka	28.12.2018 (AN)
10.	6439B	Amarjit Singh	28.12.2018 (AN)

2. The appointment/promotion of the aforesaid officers as Deputy Secretary on ad-hoc basis is subject to the conditions/instructions as mentioned in DoP&T's Order No. 4/11/2015-CS.I(D)(Pt.I)(Vol.III) dated 28.12.2018. It is also subject to the outcome of the SLP(C) No. 30621/2011 (Jarnail Singh & Ors Vs Lachmi Narain Gupta & Ors) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court case in connected matter.

DEBASHISH HALDER, Under Secretary

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 28th December 2018

No. A-32014/1/2004-Estt.(Pt.)—In pursuance of Department of Expenditure's OM No. A.12026/5/2015-CAS(Vol.III) dated 20.12.2018, Shri Suresh Kumar Chauhan in the CSS cadre is taken on the strength of Department of Financial Services, Ministry of Finance on his appointment as Section Officer on regular basis against Seniority Quota for the Select List Year 2017 with effect from the forenoon of 20.12.2018.

2. The appointment of Shri Suresh Kumar Chauhan to the post of Section Officer grade is subject to the orders/outcome of the following court cases and also any other order by any competent court in any of the connected matters:-

- (i) SLP(Civil) No. 30621/2011, SLP No.31288/2017 and Contempt Petition No.314/2016 in Supreme Court of India.
- (ii) OA No.823/2013 filed by Shri Deepak Malhotra & Ors. Vs.UOI.

MRITUNJAY SINGH, Under Secretary

No. A-32014/1/2004-Estt.(Pt.)—In pursuance of Department of Expenditure's OM No. A.12026/5/2015-CAS(Vol.III) dated 20.12.2018, Smt. Sushma Vashisht in the CSS cadre is taken on the strength of Department of Financial Services, Ministry of Finance on her appointment as Section Officer on regular basis against Seniority Quota for the Select List Year 2017 with effect from the forenoon of 20.12.2018.

2. The appointment of Smt. Sushma Vashisht to the post of Section Officer grade is subject to the orders/outcome of the following court cases and also any other order by any competent court in any of the connected matters:-

- (i) SLP(Civil) No. 30621/2011, SLP No.31288/2017 and Contempt Petition No.314/2016 in Supreme Court of India.
- (ii) OA No.823/2013 filed by Shri Deepak Malhotra & Ors. Vs.UOI.

MRITUNJAY SINGH, Under Secretary

No. A-32014/1/2004-Estt.(Pt.)—In pursuance of Department of Expenditure's OM No. A.12026/5/2015-CAS(Vol.III) dated 20.12.2018, Shri Rakesh Kumar Chhabra in the CSS cadre is taken on the strength of Department of Financial Services, Ministry of Finance on his appointment as Section Officer on regular basis against Seniority Quota for the Select List Year 2017 with effect from the forenoon of 20.12.2018.

2. The appointment of Shri Rakesh Kumar Chhabra to the post of Section Officer grade is subject to the orders/outcome of the following court cases and also any other order by any competent court in any of the connected matters:—

- (i) SLP(Civil) No. 30621/2011, SLP No.31288/2017 and Contempt Petition No.314/2016 in Supreme Court of India.
- (ii) OA No.823/2013 filed by Shri Deepak Malhotra & Ors. Vs.UOI.

MRITUNJAY SINGH, Under Secretary

No. A-32014/1/2004-Estt.(Pt.)—In pursuance of Department of Expenditure's OM No. A.12026/5/2015-CAS(Vol.III) dated 20.12.2018, Shri B. M. Meena in the CSS cadre is taken on the strength of Department of Financial Services, Ministry of Finance on his appointment as Section Officer on regular basis against Seniority Quota for the Select List Year 2017 with effect from the forenoon of 20.12.2018.

2. The appointment of Shri B.M. Meena to the post of Section Officer grade is subject to the orders/outcome of the following court cases and also any other order by any competent court in any of the connected matters:-

- (i) SLP(Civil) No. 30621/2011, SLP No.31288/2017 and Contempt Petition No.314/2016 in Supreme Court of India.
- (ii) OA No.823/2013 filed by Shri Deepak Malhotra & Ors. Vs.UOI.

MRITUNJAY SINGH, Under Secretary

No. A-32014/1/2004-Estt.(Pt.)—In pursuance of Department of Expenditure's OM No. A.12026/5/2015-CAS(Vol.III) dated 21.12.2018, Smt. Archana Makkar in the CSS cadre is taken on the strength of Department of Financial Services, Ministry of Finance on her appointment as Section Officer on regular basis against Seniority Quota for the Select List Year 2017 with effect from the forenoon of 24.12.2018.

2. The appointment of Smt. Archana Makkar to the post of Section Officer grade is subject to the orders/outcome of the following court cases and also any other order by any competent court in any of the connected matters:-

- (i) SLP(Civil) No. 30621/2011, SLP No.31288/2017 and Contempt Petition No.314/2016 in Supreme Court of India.
- (ii) OA No.823/2013 filed by Shri Deepak Malhotra & Ors. Vs.UOI.

MRITUNJAY SINGH, Under Secretary

No. A-32014/1/2004-Estt.(Pt.)—In pursuance of Department of Expenditure's OM No. A.12026/5/2015-CAS(Vol.III) dated 21.12.2018, Shri A.K. Tandon in the CSS cadre is taken on the strength of Department of Financial Services, Ministry of Finance on his appointment as Section Officer on regular basis against Seniority Quota for the Select List Year 2017 with effect from the forenoon of 21.12.2018.

2. The appointment of Shri A. K. Tandon to the post of Section Officer grade is subject to the orders/outcome of the following court cases and also any other order by any competent court in any of the connected matters:—

- (i) SLP(Civil) No. 30621/2011, SLP No.31288/2017 and Contempt Petition No.314/2016 in Supreme Court of India.
- (ii) OA No.823/2013 filed by Shri Deepak Malhotra & Ors. Vs.UOI.

MRITUNJAY SINGH, Under Secretary

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 31st December 2018

No. K-43011(15)/11/2018-SEZ (ADMIN.)—The President is pleased to appoint Shri Pravin Chandra, Indian Revenue Service (C&CE:2005) as Joint Development Commissioner, Pune Cluster Special Economic Zones, Pune under the Department of Commerce in Pay Band-3 of Rs. 15600-39100/- plus Grade Pay of ₹ 7600/- on deputation on cost recovery basis for a period of four years with effect from 20/3/2017 (forenoon) or until further orders, whichever is earlier.

ADITYA NARAYAN, Under Secretary

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 8th January 2019

No. A-12011/3/2015-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training O.M. No. 3/3/2018-CS.II(A) dated 28th December, 2018, the President is pleased to appoint following Private Secretary of CSSS to the post of Principal Private Secretary of CSSS in the Department of Consumer Affairs in the Level 11 (₹ 67,700 — ₹ 2,08,700) of Pay Matrix w.e.f. the forenoon of 31.12.2018 on ad-hoc basis initially for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up on regular promotion or until further orders whichever is earlier:—

S.No.	Name	Designation	Date of Birth	SLY
1.	Kavita Agnihotri	Private Secretary	24.08.1973	2010
2.	Bindu Grover	Private Secretary	23.03.1966	2010

2. The above appointment to the post of Principal Private Secretary (CSSS) on ad-hoc basis is subject to further orders which may be passed by the Hon'ble Court in cases as mentioned in para 3(vi), (vii), (viii) in DoP&T's O.M. No. 3/3/2018-CS.II(A) dated 28th December, 2018 and orders of any competent court in any concerned matter.

ANIL KUMAR PANDEY, Under Secretary

No. A-19011/5/2018-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training O.M. No. 2/5/2017-CS.II (A) dated 28th December, 2018, the President is pleased to appoint Ms. Raj Rani, Principal Private Secretary of CSSS to the post of Sr. Principal Private Secretary of CSSS in the Department of Consumer Affairs in the Level 12 (₹ 78,800—₹ 2,09,200) of Pay Matrix w.e.f. the forenoon of 31.12.2018 on ad-hoc basis initially for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders whichever is earlier.

2. The above appointment to the post of Sr. Principal Private Secretary (CSSS) on ad-hoc basis is subject to further orders which may be passed by the Hon'ble Court in cases as mentioned in para 3(vi), (vii), (viii) in DoP&T's O.M. No. 2/5/2017-CS.II (A) dated 28th December, 2018 and orders of any competent court in any concerned matter.

ANIL KUMAR PANDEY, Under Secretary

DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

New Delhi, the 26th December 2018

No. A-11013/1/2015-E-I.—The President is pleased to appoint Shri Ajay Yadav, IAS (BH: 2005) as Officer on Special Duty (OSD) to the Hon'ble Minister of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Shri Ram Vilas Paswan) at the level of Deputy Secretary in PB-3 (Rs. 15,600-39,100/-) + Grade Pay Rs. 7600/- (Level: 12 as per 7th CPC) with effect from the forenoon of 21st December, 2018 on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as OSD to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

RAM CHANDRA, Under Secretary

The 2nd January 2019

No. A-32013/1/2018. E-I.—In pursuance of the Department of Personnel & Training (DoPT)'s O.M. No. 2/5/2017-CS. II (A) dated 28.12.2018, the President of India is pleased to appoint the following Principal Private Secretaries (PPSs) of Central Secretariat Stenographers Service (CSSS) of the Cadre of Department of Food & Public Distribution (D/o F&PD), to the post of Senior Principal Private Secretaries (Sr. PPSs) on ad-hoc basis in D/o F&PD w.e.f. the dates mentioned below against their names, for a period upto 30.06.2019 or till the post are filled up on regular promotion or until further orders of DoPT, whichever is earlier.

Sl. No.	Name (Shri/Smt./Ms.)	Date of Appointment to Sr. PPS grade of CSSS
1.	Meenakshi Gupta	28.12.2018 (A/N)
2.	Rajesh Kumar Suri	28.12.2018 (A/N)
3.	Lavit Robertson	31.12.2018 (F/N)
4.	Shailaja Pillai	31.12.2018 (F/N)

2. The ad-hoc appointment of Officers to the post of Sr. PPS Grade is subject to terms and conditions mentioned in DoPT's O.M. dated 28.12.2018 and orders which may be passed by Hon'ble Courts in the cases mentioned below:

- (i) The SLP(C) No. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court.
- (ii) The SLP(C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP(C) No. 3490/2010 filled by the All India Equity Forum & Others Vs. UOI & Ors. and other related court cases in any competent court;
- (iii) Any other court cases in a connected matter.

RAM CHANDRA, Under Secretary

No. A-32014/2/2018-E. I.— The President is pleased to appoint the following officer of Central Secretariat Service (CSS) of the Cadre of Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Department of Food & Public Distribution) as Section Officer on adhoc basis upto 31.12.2019 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders whichever is earlier:—

Sl. No.	Name	Date of Appointment as Section Officer
1.	Smt. Usha Rawat	01.01.2019 (F/N)
2.	Smt. Ranjita Mohapatra	01.01.2019 (F/N)
3.	Smt. Lalita Singh	01.01.2019 (F/N)

2. The promotion of aforesaid officials is purely ad-hoc in nature and shall not confer any right on them for regular appointment or to claim seniority in the grade of Section Officer of CSS.

3. The appointment of the Section Officer Grade of CSS of the above officials is subject to the orders/outcome of the following Court cases and also any other order by any Competent Court in any of the connected matters apart from these:—

- (i) The SLP(C) No. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court.
- (ii) The SLP(C) No. 31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP(C) No. 3490/2010 filled by the All India Equality Forum & Others Vs. UOI & Ors. and other related court cases in any competent court; and
- (iii) Any other court case in a connected matter.

RAM CHANDRA, Under Secretary

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi-110 011, the 13th December 2018

No. A-31012/1/2016-CHS.III. Vol II—The President is pleased to substantively appoint officers in the Teaching/ Public Health sub-cadre of the Central Health Service as per Annexure (duly authenticated by Section Officer, CHS-III), with effect from the date(s) indicated against each:—

Annexure

Teaching

S.No.	Name	Speciality	Hospital	Date of joining	Due date of confirmation
1.	Dr. Rajeev Kumar	Surgery	LHMC, New Delhi	21.7.2014	21.7.2015
2.	Dr. Amit Kumar Sharma	Medicine		14.12.2015	14.12.2016
3.	Dr. Sumit Rana	Psychiatry		16.8.2016	16.8.2017
4.	Dr. Prema Kukretri	Psychiatry		10.9.2016	10.9.2017
5.	Dr. Vikram Khanna	Paediatric Surgery		15.11.2016	15.11.2017
6.	Dr. Atul Saroch	Medicine	PGIMER & Dr. RML Hospital, New Delhi	26.8.2015	26.8.2016
7.	Dr. Jaya Jethra Chawla	Obst. & Gynae		15.9.2016	15.9.2017
8.	Dr. Sagar Atmaram Borker	PSM		10.2.2016	10.2.2017
9.	Shipra Choudhury	PMR		20.02.2016	20.02.2017
10.	Mukesh Kumar Sharma	Plastic Surgery		17.08.2016	17.08.2017
11.	Dr. Priyanka Khurana	Anaesthesia	GNCT, Delhi	6.11.2015	6.11.2016
12.	Dr. Anu Gupta	Neurology		22.7.2015	22.7.2016
13.	Dr. Kapil Chaudhary	Anaesthesia		9.11.2015	9.11.2016
14.	Dr. Bindiya Gupta	Obst. & Gynae.		6.11.2015	6.11.2016
15.	Dr. Ankit Bansal	Cardiology		28.3.2016	28.3.2017
16.	Dr. Mona Arya	Anaesthesia		17.3.2011	17.3.2012
17.	Dr. Sumeet Singla	Medicine		12.11.2013	12.11.2014
18.	Dr. Preeti Jain	Physiology		23.6.2011	23.6.2012
19.	Dr. Naresh Kumar	Medicine		5.5.2011	5.5.2012
20.	Dr. Shiva Narang	Medicine		29.4.2012	29.4.2013
21.	Dr. Pradeep Kumar Dabla	Biochemistry		2.9.2012	2.9.2013
22.	Dr. Shasanka Shekhar Panda	Paediatric Surgery		6.4.2016	6.4.2017
23.	Dr. Amit Kohli	Anaesthesia		31.5.2016	31.5.2017
24.	Dr. Lovenish Kumar Bains	Surgery		5.4.2016	5.4.2017
25.	Dr. Lovekesh Kumar	Surgery		8.4.2016	8.4.2017
26.	Dr. Abhishek Chopra	Neonatology		22.4.2016	22.4.2017
27.	Dr. Vijay Gupta	Neonatology		14.7.2016	14.7.2017
28.	Dr. Deepak Ghuliani	Surgery		28.2.2011	28.2.2012
29.	Dr. Anurag Mishra	Surgery		28.3.2014	28.3.2015
30.	Dr. Monisha Pradhan	Forensic Medicine		4.4.2014	4.4.2015
31.	Dr. Dhiraj D. Buchade	Forensic Medicine		28.3.2014	28.3.2015
32.	Dr. Sanjay Pandit	Medicine		15.4.2011	15.4.2012
33.	Dr. Richa Gupta	Pathology		29.8.2011	29.8.2012
34.	Dr. Priyanka Gogoi	Pathology		15.11.2011	15.11.2012
35.	Dr. Anurag Agarwal	Paediatrics		19.3.2014	19.3.2015
36.	Dr. Rohit Chawla	Microbiology		21.7.2014	21.7.2015
37.	Dr. Safal	Cardiology		29.3.2016	29.3.2017
38.	Dr. Rahul Jain	Paediatrics		23.12.2016	23.12.2017
39.	Dr. Mahim Kapoor	Psychiatry		20.8.2016	20.08.2017
40.	Dr. Niharika Dhiman	Obst. & Gynae		4.1.2016	04.01.2017
41.	Dr. Nilanchali Singh	Obst. & Gynae		4.9.2015	04.09.2016
42.	Dr. Lalit Gupta	Anaesthesia		24.8.2016	24.08.2017
43.	Dr. Ashih	Neonatology		1.4.2016	01.04.2017
44.	Dr. Amandeep Kaur	Forensic Medicine		03.04.2014	03.04.2015
45.	Dr. Sanjay Kumar Munda	Psychiatry	CIP, Ranchi	07.1.2016	07.01.2017

S.No.	Name	Speciality	Hospital	Date of joining	Due date of confirmation
46.	Dr. Shilpa Suneja	Bio Chemistry	Safdarjung Hospital New Delhi	09.06.2015	09.06.2016
47.	Dr. Manisha Jain	Microbiology		29.10.2015	29.10.2016
48.	Dr. Akhilesh Mishra	Radiotherapy		17.09.2015	17.09.2016
49.	Dr. Nidhi Sugandhi	Paediatric Surgery		27.04.2015	27.04.2016

Public Health

S.No.	Name	Speciality	Hospital	Date of joining	Due date of confirmation
50.	Dr. Vikas Janardhan Gode	PH	NCDC Rajahmundry	03.05.2016	03.05.2017

D. D. MAHESHWARI, Under Secretary

New Delhi-110108, the 14th January 2019

No. A.12025/34/2016-CHS.III—The President is pleased to appoint Dr. Varun Shantilal Mehta to the post of Assistant Professor of Psychiatry in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 19.08.2016 and until further orders.

C. S. BAHUGUNA, Under Secretary

No. A.12025/55/2016-CHS.III—The President is pleased to appoint Dr. Roshan Khanande to the post of Assistant Professor of Psychiatry in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 23.08.2016 and until further orders.

C. S. BAHUGUNA, Under Secretary

No. A.12025/65/2016-CHS.III—The President is pleased to appoint Dr. Pritish Singh to the post of Assistant Professor of Orthopedics in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 03.10.2016 and until further orders.

C. S. BAHUGUNA, Under Secretary

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 11th January 2019

No. 6(2848)/2018-Adm/516—Joint Secretary (A&A), DAE is pleased to appoint Shri Bhanu Prakash Ch. V.K., Assistant, BARC Facilities, Visakhapatnam as Junior Analyst (Level-8 of Pay Matrix) in DAE Sectt., Mumbai with effect from the forenoon of 31st December 2018 until further orders.

ASHOK B. GERIRA, Under Secretary

Mumbai-400001, the 8th January 2019

No. 9/4/2016-Power/259—The President is pleased to appoint the following Scientific Officer / Engineer of this Department who is on permanent deputation to the Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) to the grade as mentioned and as detailed below in an officiating capacity w.e.f. 01.07.2018, until further orders.

Sl. No.	Name	Present Grade	Promoted to Grade	Pay band / Pay Scale (Rs.)	Unit
1.	Shri Sushil Kumar Jain	Scientific Officer/ Engineer - E	Scientific Officer/Engineer-F	(PB-4 37400-67000) (Grade Pay – 8700) Level 13 of Pay Matrix	RAPS-3&4

2. The above officer relinquished charge of the lower post held by him w.e.f. 01.07.2018 (FN).

JAYASHREE S., Under Secretary (Power)

No. 26/1/2018-CCS/326—The President is pleased to appoint Shri Y. Ramanjaneyulu, Assistant Personnel Officer (Level 9 of Pay Matrix), Directorate of Purchase and Stores, Mumbai of this Department as Administrative Officer-III (Level 11 of Pay Matrix) in Heavy Water Plant, Baroda with effect from 02.11.2018(FN) until further orders.

JAYASHREE S., Under Secretary

No. 26/1/2018-CCS/331—The President is pleased to appoint Smt. Sobhana Nair, Assistant Personnel Officer (Level 9 of Pay Matrix) Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai of this Department as Administrative Officer-III (Level 11 of Pay Matrix) in Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai with effect from 09.10.2018(FN) until further orders.

JAYASHREE S., Under Secretary

DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES AND ESTATE MANAGEMENT

Mumbai-400094, the 10th January 2019

No. DCSEM/E-Gazette/Estt.I/2018/07—Consequent upon attaining the age of superannuation, the following Officers of Directorate of Construction, Services & Estate Management, Department of Atomic Energy have retired from Government service with effect from the afternoon of date(s) shown against them:—

S. No.	Name of Officer (Shri/Smt.)	Post Held	Date of Retirement
1.	Smt. Vijaya Vasudevan	Assistant Accounts Officer	31.12.2016
2.	Shri R.C. Mallik	Scientific Officer/H	31.12.2016
3.	Shri G. Bhagavetheeswaran	Scientific Officer/F	31.12.2016
4.	Shri A.S. Ansari	Scientific Officer/E	31.01.2017
5.	Shri Suchitta Pal	Scientific Officer/G	28.02.2017
6.	Shri K. Unnikrishnan	Scientific Officer/F	28.02.2017
7.	Shri A.C. Naik	Scientific Officer/H +	30.04.2017
8.	Shri Vijayakumar B.	Assistant Personnel Officer	31.05.2017
9.	Smt. Pushpa D. Nambiar	Pvt. Secretary (Non-Secretariat)	30.06.2017
10.	Shri S.F. Kadam	Scientific Officer/E	31.07.2017
11.	Shri H.S. Sharma	Scientific Officer/E	31.07.2017
12.	Shri N. Chakraborty	Scientific Officer/G	30.09.2017
13.	Shri V. Venkatraj	Scientific Officer/H +	31.10.2017
14.	Shri G.S. Karwade	Administrative Officer-III	31.10.2017
15.	Smt. Parimala Ganesan	Deputy Controller of Accounts	30.11.2017
16.	Shri A.K. Deshmukh	Scientific Officer/G	31.12.2017
17.	Shri R. Sharma	Scientific Officer/H +	31.12.2017
18.	Shri A.R.Gajmal	Chief Security Officer	31.12.2017
19.	Shri Lallan P. Keshari	Scientific Officer /E	31.01.2018
20.	Shri N. Krishnasami	Scientific Officer/G	31.03.2018
21.	Shri S.R. Amanta	Scientific Officer/E	30.04.2018
22.	Shri V. Krishnan	Scientific Officer/E	30.04.2018
23.	Shri N. Muralidharan	Assistant Personnel Officer	30.09.2018
24.	Shri Anil Shrivastava	Distinguished Scientist & Director	31.10.2018
25.	Shri S.Y.Kamani	Assistant Accounts Officer	30.11.2018
26.	Shri A.K. Jain	Scientific Officer/G	31.12.2018
27.	Shri S.C. Dass	Scientific Officer /E	31.12.2018
28.	Shri Pinaki Sen	Scientific Officer /E	31.12.2018

S. KOMALAVALLI, Administrative Officer-III

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500062, the 9th January 2019

No. NFC/PAR-I/03/09/2018/35—The President is pleased to appoint Shri Sudhir Kumar Sharma, Station Officer/A, Zirconium Complex, Pazhayakayal as Deputy Chief Fire Officer/A in the Level 10 of Pay Matrix in Nuclear Fuel Complex, Hyderabad in temporary capacity with effect from 29.12.2018 (Forenoon) until further orders.

K. P. S. PILLAI, Administrative Officer-III

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 6th December 2018

No. A-32014/02/2018-Estt.II—The President is pleased to appoint the following regular Personnal Assistants of Rural Development cadre, as Private Secretary (PS) (Group 'B', Gazetted) of CSSS in the cadre of the Ministry purely on ad-hoc basis, in Level-08 (Rs. 47600-Rs. 151100) of new Pay Matrix with effect from the dates indicated against their names and until further orders:—

S.No.	Name (Shri/Smt.)	Date of charge assumption
1.	Vikram Singh Aswal	03.12.2018 (FN)
2.	Jyotsana Verma	20.11.2018 (AN)
3.	Lalit Dua	26.11.2018 (FN)
4.	K. Sathyabama	20.11.2018 (AN)
5.	Rajeev Kaushal	22.11.2018 (FN)
6.	Tilak Raj Arora	20.11.2018 (AN)
7.	Sunil Kumar Tanwar	20.11.2018 (AN)

D. K. RANJAN, Under Secretary

The 24th December 2018

No. A-32013/01/2016-Estt.II—The President is pleased to appoint Shri Madhu Thota as Principal Private Secretary of CSSS, in the Rural Development Cadre, in the Level-11 of New Pay Matrix with effect from the afternoon of 22.11.2018 upon inclusion of his name in the Slect List Year 2016.

D. K. RANJAN, Under Secretary

The 2nd January 2019

No. A-32014/02/2018-Estt.II—The President is pleased to appoint Smt. Saraswati Rajesh, a regular Personal Assistant of Department of Posts, as Private Secretary (Group 'B' Gazetted) of CSSS cadre of the Ministry of Rural Development, in the Level-08 (Rs. 47600-Rs. 151100) of new pay matrix on adhoc basis with effect from the afternoon of 30th November, 2018 or until further order.

D. K. RANJAN, Under Secretary

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
(DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT)

New Delhi, the 5th December 2018

No. A-12025/(1)/1/2010-Estt.II—The Competent Authority in the Ministry of Social Justice & Empowerment, Department of Social Justice and Empowerment extends the deputation tenure of Shri S.P. Mishra, a regular Publicity Officer of the Directorate General of Sashatra Seema Bal (under MHA) as Dy. Director (Media), in the Ministry of Social Justice & Empowerment for a further period of one year (being the 7th year) with effect from 01.02.2019 and till 31.01.2020 or until further orders, whichever is earlier on the existing terms and conditions.

ASOKAN P.K., Under Secretary

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 4th January 2019

CORRIGENDUM

No.E(O)III-2018/RN/26—In partial modification of Railway Board's Notification of even number dated 11.06.2018, the grade of Shri Deepak Arora, may be read as Senior Administrative Grade (under 'NBR') instead of Senior Administrative Grade (Non-functional).

RANJANESH SAHAI, Secretary

CORRIGENDUM

No.E(O)III-2018/RN/41—In partial modification of Railway Board's Notification of even number dated 10.12.2018, the grade of Shri Debashish Ranjan Pal, may be read as 'NF-HAG/IRSSE' instead of 'SAG/IRSSE'.

RANJANESH SAHAI, Secretary

MINISTRY OF NEW & RENEWABLE ENERGY

New Delhi-110 003, the 18th December 2018

No. 7/4/2016-Admn.I—In terms of DoPT's O.M. No. 4/2/2018-CS.II(A) dated 22nd November, 2018, the following Personal Assistants of CSSS cadre are promoted to the post of Private Secretary on ad-hoc basis in Ministry of New & Renewable Energy w.e.f. the forenoon of 18.12.2018 for the period upto 30/06/2019 or till the regular PSs become available, whichever is earlier.

1. Smt. Shashi Bala Chhatwal
2. Sh. Rakesh Kumar

K. G. SURESH KUMAR, Under Secretary

The 2nd January 2019

No. 6/170/89-Admn. I—On attaining the age of superannuation, Sh. I. P. Singh, Scientist "F" in Ministry of New & Renewable Energy retired from Government service with effect from 31st December, 2018 (AN).

ARVIND POKHRIYAL, Under Secretary

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 17th December 2018

No. 10(a)/18. F.No.2-4/7/2018-Adm. II(MoP)—In pursuance of the Department of Personnel & Training's OM No. 6/4/2018-CS.I(S) dated 19.09.2018, Sh. Ghanshyam Vashishth, Assistant Section Officer of Ministry of Power is appointed to the grade of Section Officer in Level 8 of the Pay Matrix in the Ministry of Power Cadre of CSS on regular basis against the Seniority Quota for the Select List Year-2016 with effect from the forenoon of 3rd December 2018.

2. The appointment of the above mentioned officer to the grade of Section Officer on regular basis is subject to the terms and conditions laid down in the Department of Personnel & Training's OM referred to above and subject to the orders/outcome of the following court cases and also any other order by any Competent Court in any of the connected matters, apart from these:

- (i) SLP (Civil) No. 30621/2011, SLP No. 31288/2017 and Contempt Petition No. 314/2016 in Supreme Court of India.
- (ii) OA NO. 823/2013 filed by Shri Deepak Malhotra & Ors vs, UOI.

S. VENKATESHWARLU, Under Secretary

No.10(b)/18. F.No.2-4/7/2018-Adm.II(MoP).—In pursuance of the Department of Personnel & Training's OM No. 6/4/2018-CS.I(S) dated 19.09.2018, Ms. Prem Lata Hans, Assistant Section Officer of Ministry of Power is appointed to the grade of Section Officer in Level 8 of the Pay Matrix in the Ministry of Power Cadre of CSS on regular basis against the Seniority Quota for the Select List Year-2016 with effect from the forenoon of 3rd December 2018.

2. The appointment of the above mentioned officer to the grade of Section Officer on regular basis is subject to the terms & conditions laid down in the Department of Personnel & Training's OM referred to above and subject to the orders/outcome of the following court cases and also any other order by any Competent Court in any of the connected matters, apart from these:

- (i) SLP (Civil) No. 30621/2011, SLP No. 31288/2017 and Contempt Petition No. 314/2016 in Supreme Court of India.
- (ii) OA NO. 823/2013 filed by Shri Deepak Malhotra & Ors vs. UOI.

S. VENKATESHWARLU, Under Secretary

No.10(c)/18. F.No. 2-4/7/2018-Adm.II(MoP)—In pursuance of the Department of Personnel & Training's OM No. 6/4/2018-CS.I(S) dated 19.09.2018, Ms. Neelam Ravi, Assistant Section Officer of Ministry of Power is appointed to the grade of Section Officer in Level 8 of the Pay Matrix in the Ministry of Power Cadre of CSS on regular basis against the Seniority Quota for the Select List Year-2016 with effect from the forenoon of 3rd December 2018.

2. The appointment of the above mentioned officer to the grade of Section Officer on regular basis is subject to the terms &, conditions laid down in the Department of Personnel & Training's OM referred to above and subject to the orders/outcome of the following court cases and also any other order by any Competent Court in any of the connected matters, apart from these:

- (i) SLP (Civil) No. 30621/2011, SLP No. 31288/2017 and Contempt Petition No. 314/2016 in Supreme Court of India.
- (ii) OA NO. 823/2013 filed by Shri Deepak Malhotra & Ors vs. UOI.

S. VENKATESHWARLU, Under Secretary